सप्तदश माला, खंड 25, अंक 8 **सोमवार, 31 जुलाई, 2023**
9 श्रावण, 1945 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र

(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 25 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

<u>सम्पादक मंडल</u>

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

उमेश कुमार
उप निदेशक

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 25, बारहवां सत्र, 2023 / 1945 (शक)
अंक 8, सोमवार, 31 जुलाई, 2023 / 9 श्रावण, 1945 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
मलावी गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	12
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
1* तारांकित प्रश्न संख्या 141 से 143	13-17
प्रश्नों के लिखित उत्तर	18
तारांकित प्रश्न संख्या 144 से 160	
अतारांकित प्रश्न संख्या 1611 से 1840	

1*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 19-46, 97

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सबंधी समिति

25वां तथा 26वां प्रतिवेदन 47

विदेशी मामलों संबंधी समिति

विवरण 48

'शिक्षा उपकर' के संबंध में दिनांक 06.02.2023 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 680 के दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य 49-57

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य 58-61, 98

(एक) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों (2023-2024) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 340वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री नित्यानंद राय 58

(दो) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों (2023-2024) के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 43वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री प्रहलाद जोशी 98

(तीन) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों(2023-24) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 243वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री बी.एल. वर्मा 59

(चार)(क) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों (2022-23) के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 337वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई

कार्रवाई के संबंध में समिति के 345वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

60

(ख) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023 - 24) के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 348वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

डॉ. सुभाष सरकार 61

नियम 377 के अधीन मामले 62-88

(एक) पश्चिम ओडिशा में ओडिशा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री बसंत कुमार पांडा 62

(दो) रायचूर में एम्स की स्थापना किए जाने के बारे में

श्री राजा अमरेश्वर नाइक 63

(तीन) वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को छपरा या सिवान से दिल्ली, कोलकाता और वाराणसी तक चलाने जाने की आवश्यकता

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल 64

(चार) मध्य प्रदेश में किसानों को घटिया मक्का बीज वितरित करने वाली बीज कंपनी का लाइसेंस रद्द किए जाने की आवश्यकता

डॉ. ढाल सिंह बिसेन 65

(पांच) राजापुर रोड स्टेशन पर जन शताब्दी एक्सप्रेस या तेजस एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव के बारे में

श्री मनोज कोटक 66

(छह) हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्तर का खेल संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री धर्मवीर सिंह 67

(सात) हरियाणा में घग्गर नदी के कारण आई बाढ़ के बारे में

सुश्री सुनीता दुग्गल 68

(आठ) महिलाओं, बच्चों और दलितों को सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रामचरण बोहरा 69

(नौ) अहमदाबाद में समाप्त होने वाली रेल सेवाओं को राजकोट तक विस्तारित किए जाने की आवश्यकता

श्री मोहनभाई कुंडारिया 70

(दस) प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जिन व्यक्ति (ओं) के शरीर का पता नहीं चल पाता है, उन्हें मृत मानने की अवधि 7 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्रवाल 71

(ग्यारह) नांदेड़ से मुंबई, अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली और हैदराबाद की विमान सेवाओं को बहाल करने की आवश्यकता

श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर 72

(बारह) गुजरात में पालानपुर और गांधीधाम रेलवे लाइन के बीच समपार संख्या 43 पर एक रेल ओवर ब्रिज बनाए जाने की आवश्यकता

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल 73

(तेरह) उत्तरप्रदेश के अकबरपुर संसदीय क्षेत्र में रेलवे फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के अंडरपास में जल-भराव की समस्या के बारे में

श्री देवेन्द्र सिंह भोले 74-75

(चौदह) केरल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना के बारे में

डॉ. शशि थरूर 76

(पंद्रह) ईरान में हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की रिहाई के बारे में

एडवोकेट अदूर प्रकाश 77

(सोलह) केरल में अंगमाली - सबरी रेलवे लाइन के निर्माण के बारे में

एडवोकेट डीन कुरियाकोस 78

(सत्रह) एमजीआर चेन्नई सेंट्रल से कोयंबटूर तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का तमिलनाडु के जोलारपेट्टई में ठहराव दिए जाने के बारे में

श्री सी. एन. अन्नादुराई 79

(अठारह) मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी द्वारा किए गए कटाव के बारे में

श्री खलीलुर रहमान 80

(उन्नीस) आंध्र प्रदेश में प्रधान मंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एवं ऐपरल पार्क स्थापित किए जाने के बारे में

श्री रघु राम कृष्ण राजू 81

(बीस) बुलढाणा संसदीय क्षेत्र में भारी बारिश के कारण संपत्ति और फसलों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रतापराव जाधव 82

(इक्कीस) कोशी मेची लिंक परियोजना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी 83

(बाईस) ओडिशा के ई.पी.एस 95 पेंशनभोगियों की पेंशन में वृद्धि के बारे में

श्रीमती मंजुलता मंडल 84

(तेईस) पलामुरू रेंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना को निधियां प्रदान करना और इसे राष्ट्रीय दर्जा दिए जाने के बारे में

श्री बी. बी. पाटिल 85

(चौबीस) दरभंगा में अशोक पेपर मिल को पुन: चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रिंस राज 86

(पच्चीस) गैर-बासमती चावल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने की आवश्यकता

श्री जगदम्बिका पाल 87

(छब्बीस) पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार में रेल सेवा के बारे में

श्री श्याम सिंह यादव 88

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में संशोधन के लिए सांविधिक संकल्प 89-90

श्री पंकज चौधरी 89

सांविधिक संकल्प - स्वीकृत हुआ 90

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (पांचवा संशोधन) विधेयक, 2022 राज्य सभा द्वारा किया गया संशोधन 91-93

विचार के लिए प्रस्ताव 91

श्री अर्जुन मुंडा 91

जिन संशोधनों पर सहमति बनी थी 93

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022 राज्य सभा द्वारा किया गया संशोधन 94-96

विचार के लिए प्रस्ताव 94

श्री अर्जुन मुंडा 94

जिन संशोधनों पर सहमति बनी थी 96

चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2023
राज्य सभा द्वारा यथा पारित 99-114

विचार के लिए प्रस्ताव 99

श्री अनुराग सिंह ठाकुर 99-102, 107-113

श्री मनोज तिवारी 102-103

श्री मदीला गुरुमूर्ति 103-104

श्री रामशिरोमणि वर्मा 104

श्री कृपाल बालाजी तुमाने 105-106

श्रीमती नवनित रवि राणा 106

श्री शंकर लालवानी 107

खंड 2 से 10 और 1 113

पारित किए जाने हेतु प्रस्ताव 113-114

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

सोमवार, 31 जुलाई 2023 / 9 श्रावण, 1945 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

मलावी गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

(हिन्दी)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करना है कि आज सदन में विशिष्ट दीर्घा में मलावी गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य विराजमान हैं।

मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से, भारत की यात्रा पर आए हमारे सम्मानित अतिथि, मलावी गणराज्य की नेशनल असेम्बली की अध्यक्षा महामहिम सुश्री कैथरीन गोटानी हारा और वहाँ के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करता हूँ, अभिनन्दन करता हूँ।

मलावी गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का भारत आगमन रविवार 30 जुलाई, 2023 को हुआ था। शिष्टमंडल के सदस्यगण दिल्ली के अतिरिक्त आगरा की यात्रा भी करेंगे। उनका भारत से प्रस्थान शुक्रवार, दिनांक 4 अगस्त, 2023 को होगा। हम अपने देश में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं।

उनके माध्यम से, हम मलावी गणराज्य की संसद, वहाँ की सरकार और वहाँ की मित्रवत जनता को अपनी बधाई और शुभकामनाएँ प्रेषित करते हैं।

———————

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर[2]

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नम्बर 141,

श्री सुनील कुमार मंडल.

… (व्यवधान)

(प्रश्न संख्या 141)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

इस समय, श्री हिबी इडन, श्री एस. एस. पलानीमणिकम और कुछ अन्य माननीय सदस्य पटल के निकट आकर फर्श पर खड़े हो गए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नम्बर 142, डॉ. निशिकांत दुबे ।

… (व्यवधान)

(प्रश्न संख्या **142)**

डॉ. निशिकांत दुबे : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी को नयी शिक्षा नीति के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने वर्षों बाद मैकाले की शिक्षा पद्धति को बदलने का काम किया।… (व्यवधान)

महोदय, शिक्षा की जो समस्याएं हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मुझे 374 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट दी है। उसके पीछे दो रीजन्स हैं।… (व्यवधान) वे ये हैं कि राज्य का बोर्ड अलग है और सीबीएसई बोर्ड अलग है। जो बच्चे नौकरी पाते हैं, वे सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं। राज्यों के जो

---

[2] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

बोर्ड हैं, वे उस तरह से शिक्षा में कोप-अप नहीं कर सकते हैं।... (व्यवधान) दूसरी बात, पैसे खर्च करने के बाद भी मैक्सिमम राज्य सरकारें जितने स्कूल्स चला रही हैं, खासकर मेरे राज्य झारखण्ड में, उनमें शिक्षकों की भारी कमी है। रूसा (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान) के तहत जो पैसे दिए जाते हैं, उससे बिल्डिंग तो बन जाती है, लेकिन विद्यालयों में शिक्षक न होने के कारण न स्कूलों में पढ़ाई हो पा रही है, न कॉलेज में पढ़ाई हो रही है।... (व्यवधान) मुझे पता है कि ये दोनों कंकरेंट लिस्ट में हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नयी शिक्षा नीति है, उसमें भारत सरकार कैसे इन 374 डिस्ट्रिक्ट्स को एजुकेशनली फॉरवर्ड बनाएगी?... (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है। ... (व्यवधान) शिक्षा कनकरेंट लिस्ट में नामांकित विषय होने के कारण भारत सरकार का दायित्व आर्थिक अनुदान देने का है। ... (व्यवधान) लेकिन उसका क्रियान्वयन करने का दायित्व मूलत: राज्य सरकार का है। ... (व्यवधान) इस सबके बावजूद, अभी-अभी जैसे, परसों माननीय प्रधान मंत्री जी ने भारत में स्कूलों को और आगे बढ़ाने के लिए 'पीएम श्री स्कूल्स' के तहत 6,207 स्कूलों को पहली किश्त देकर आर्थिक अनुदान दिया। ... (व्यवधान) इसी बात के साथ-साथ हमारी संघीय व्यवस्था में जो दायित्व बंटवारे की व्यवस्था है, उसमें उसको क्रियान्वित करने का राज्यों का ही दायित्व है, जिम्मेदारी है। ... (व्यवधान) मैं माननीय सदस्य की चिंता को ग्रहण करता हूं। ... (व्यवधान) मैं उन राज्यों के साथ फिर भी बात करूंगा कि भारत सरकार की योजनाओं का राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए कैसे सटीक क्रियान्वयन हो। ... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : माननीय अध्यक्ष जी, देश में शिक्षा को आगे बढ़ाने का माननीय प्रधान मंत्री जी ने बीड़ा उठाया है। ... (व्यवधान) देश में सेंट्रल स्कूल्स और सेंट्रल कॉलेजेज बनते हैं। ... (व्यवधान) हमने हमेशा यह देखा है, हमें जो यह लिस्ट मिली है, इसमें झारखंड के 12 ऐसे जिले हैं, जो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। ... (व्यवधान) ये सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं। ... (व्यवधान) भारत सरकार का 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का मापदंड है। ... (व्यवधान) इन जिलों में से छ: जिले संथाल परगना के हैं, एक क्षेत्र माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपुर्णा देवी जी का है, जो कि हमसे सटा हुआ है और गिरीडीह है। ... (व्यवधान) झारखंड के 12 जिलों में से आठ जिले ऐसे हैं, जो संथाल परगना और उसके इर्द-गिर्द हैं। ... (व्यवधान)

लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ प्रभावी होने के कारण वह रांची जैसी जगहों में बन जाती हैं या राज्यों की राजधानी में बन जाती हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह आग्रह भी है और यह प्रश्न भी है कि क्या आप इस लिस्ट को देखते हुए संथाल परगना में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक इकाई या जो रांची विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका एक कैम्पस खोलेंगे, जिससे हम अपनी तरफ से शिक्षा को बढ़ावा दे पाएं? ... (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से विनम्रता से कहना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी या सेंट्रल स्कूल खोलने की जो प्रक्रिया है, उसमें राज्यों की प्रमुख जिम्मेदारी है**। ...** (व्यवधान) मैं आदरणीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अभी जो 'पीएम-ऊषा' – प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षण अभियान का नया संस्करण, जो कि वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक चलेगा, इसमें प्रदेशों के आकांक्षी जिलों को, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को प्राथमिकता दी जाएगी। ... (व्यवधान)

(अनुवाद)

श्री एन. रेड्डप्प : महोदय, सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि आंध्र प्रदेश के सभी जिलों में, विशेष रूप से चित्तूर जिले में, एकलव्य स्कूल जैसे शैक्षणिक संस्थानों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े ? ... (*व्यवधान*)

(हिन्दी)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : माननीय अध्यक्ष महोदय, एकलव्य स्कूल्स का दायित्व भारत सरकार के जनजाति कल्याण विभाग दायित्वों में है। ... (व्यवधान) मैं चित्तूर की जानकारी अपने सहयोगी मंत्री जी के साथ चर्चा करके माननीय सदस्य को उससे अवगत करवा दूंगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर - 143, श्री राकेश सिंह जी।

... (व्यवधान)

(प्रश्न संख्या **143)**

श्री राकेश सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिनके संकल्प और दूरदृष्टि से भारत आज इंग्लैंड जैसे विकसित देश को भी पीछे करके विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ... (व्यवधान) आने वाले कुछ समय में विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हम अग्रसर हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने दोनों प्रश्न एक साथ ही पूछ लेता हूं। ... (व्यवधान) मेरा प्रश्न यह है कि अर्थव्यवस्था के मूल्यांकन को लेकर समय-समय पर रेटिंग एजेंसियां अपने आंकड़े जारी करती हैं। ... (व्यवधान) ये उपयुक्त हैं या अनुपयुक्त हैं, यह अलग बात है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन बेहतर हो, बेहतर दिखे, इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? ... (व्यवधान)

मेरा दूसरा प्रश्न है कि यदि हम यह मानते हैं कि हमारा प्रदर्शन बेहतर है, तो ऐसा मानने के पीछे हमारे क्या मापदंड या क्या आधार हैं? धन्यवाद। ... (व्यवधान)

श्री पंकज चौधरी : महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जब से हमारी सरकार बनी है, देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में गंभीरता से काम करना शुरू किया है।... (व्यवधान) अगर आप देखें तो मेक इन इंडिया टू मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया आदि कार्यक्रम हैं।... (व्यवधान) जो 29 श्रम कानून थे, उनका सरलीकरण करके चार लेबर कोड बनाये गए।... (व्यवधान) इस देश में तो ऐसे-ऐसे कानून थे, जो कहीं न कहीं वर्षों पुराने थे ।... (व्यवधान) चर्चिल का सिगार असिस्टेंट जैसे भी कानून थे ।... (व्यवधान) ऐसे हजारों कानूनों को हमने समाप्त किया ताकि सरलीकरण हो सके ।... (व्यवधान) वन नेशन-वन टैक्स के हिसाब से जीएसटी सफलतापूर्वक लागू किया ।... (व्यवधान) इनकम टैक्स में जो समस्याएं थीं, फेसलेस को सफलतापूर्वक लाया गया ।... (व्यवधान) वहीं पर पीएलआई स्कीम लायी गई।... (व्यवधान) राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन को लाया गया ।... (व्यवधान) पीएम गति शक्ति का शुभारम्भ किया गया ।... (व्यवधान) इन संरचनात्मक सुधारों के अतिरिक्त भारत सरकार ने पूँजीगत व्यय बढ़ाने पर अभूतपूर्व जोर दिया है।... (व्यवधान) इसी कारण हमारे सकल पूँजी निर्माण में अत्यधिक वृद्धि

हुई है।... (व्यवधान) इसका गुणात्मक असर अर्थव्यवस्था की मजबूती के रूप में दिख रहा है।... (व्यवधान) इन्हीं सभी कारणों से मैं कह सकता हूँ कि हमारी अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है।... (व्यवधान)

महोदय, जहाँ तक माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न का सवाल है कि किस आधार पर हम ऐसा कह रहे हैं।... (व्यवधान) वर्ष 2022 में, इसके पहले जब कोविड की महामारी पूरी दुनिया में छायी हुई थी, भारत भी उससे अछूता नहीं था।... (व्यवधान) मगर उसके बाद भी देखें तो वर्ष 2022 में वास्तविक जीडीपी 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी ।... (व्यवधान) जो वर्ष के दौरान दुनिया में सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।... (व्यवधान) इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट काफी अच्छी है।... (व्यवधान) विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में ब्याज दरें भी बेहतर हैं।... (व्यवधान) जहाँ तक डॉलर के मुकाबले विनिमय दर की बात है, चाहे वह जापानी येन हो, चाहे कोरियन वॉन हो, इन एशियाई मुद्राओं की तुलना में भारत का रुपया अपेक्षाकृत स्थिर रहा है।... (व्यवधान) इसी तरह अगर भारत को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में देखें तो 40वें स्थान पर पहुँच गया है।... (व्यवधान) भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन भी अमेरिका, जापान, चीन और ताइवान जैसे देशों की तुलना में ज्यादा बेहतर रहा है और निवेशकों को हाई रिटर्न्स प्राप्त हुए हैं।... (व्यवधान) भारत में इन्फ्लेशन की दर में गिरावट के कारण भारतीय एसेट्स, प्रतिभूतियों के प्रति निवेशकों का आकर्षण बढ़ा है और भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी संकेतक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।... (व्यवधान) इसी आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा ही नहीं, बल्कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है।... (व्यवधान) धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : आप अपना सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछिए।

... (व्यवधान)

श्री राकेश सिंह : महोदय, मेरे दोनों प्रश्न हो गए हैं। मैंने दोनों प्रश्न एक साथ ही पूछ लिए थे।... (व्यवधान)

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर[3]

(तारांकित प्रश्न सं. 144 से 160 तक
अतारांकित प्रश्न सं. 1611 से 1840)

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न काल चलाना नहीं चाहते हैं। आप सदन चलाना नहीं चाहते हैं। सदन की कार्यवाही आज दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

पूर्वाह्न 11.13 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

[3] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत हुई।

(डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी *पीठासीन हुए*)

… (व्यवधान)

अपराह्न 2.00½ बजे

इस समय, श्री कोडिकुन्नील सरेश, सुश्री महुआ मोइत्रा, श्री दयानिधि मारन और कुछ अन्य माननीय सदस्य, सभा पटल के निकट आकर फर्श पर खड़े हो गए।

(हिन्दी)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव के नोटिसेज प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

अपराह्न 2.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर -2, श्री प्रह्लाद जोशी जी।

(अनुवाद)

संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी):महोदय, श्री राव इंद्रजीत सिंह की ओर से, मैं सभा पटल पर रखता हूं

(1) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत कंपनी सचिव (संशोधन) विनियम, 2023 जो 3 अप्रैल 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्प्रा 710/1(एम)/2 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9752/17/23]

(2) लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959:- की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) अधिसूचना सं. ईआई-2023/1 जो दिनांक 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के वर्ष 2023 के लिए परिषद तथा क्षेत्रीय परिषदों के निर्वाचन के संचालन के लिए उसमें उल्लिखित तारीखें अधिसूचित की गई हैं।

(दो) अधिसूचना सं. ईआई-2023/2 जो दिनांक 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सभी क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से परिषद में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) अधिसूचना सं. ई.एल-2023/3 जो दिनांक 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया की क्षेत्रीय परिषदों में निर्वाचन को अधिसूचित किया गया था।

(चार) अधिसूचना सं. ई.एल-2023/4 जो दिनांक 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया की क्षेत्रीय परिषदों के गठन को अधिसूचित किया गया है।

(पांच) अधिसूचना सं. ई.एल-2023/5 जो दिनांक 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद और चार क्षेत्रीय परिषदों में निर्वाचन के लिए शुल्क के भुगतान को अधिसूचित किया गया था।

(छह) अधिसूचना सं. ई.एल-2023/6 जो दिनांक 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउन्टेंट्स ऑफ

इंडिया की परिषद और चार क्षेत्रीय परिषदों के निर्वाचन के लिए प्रतिभूति जमा राशि के भुगतान को अधिसूचित किया गया हैं।

(सात) उपर्युक्त अधिसूचना सं. ई.एल-2023/7 जो दिनांक 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा लागत और संकर्म लेखापाल (परिषद का निर्वाचन) नियम, 2006 की अनुसूची 4 के साथ पठित नियम 9 के उप-नियम (4) के प्रयोजन के लिए योग्यता की मान्यता को अधिसूचित किया गया है।

(आठ) अधिसूचना सं. ई.एल-2023/8 जो दिनांक 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया की इक्कीसवीं परिषद और चार क्षेत्रीय परिषदों के निर्वाचन के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से मतदान के लिए पात्र सदस्यों की सूची (मतदाता की सूची) को अधिसूचित किया गया है।

(नौ) अधिसूचना सं. ई.एल-2023/9 जो दिनांक 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा परिषद और क्षेत्रीय परिषदों के निर्वाचन के लिए किसी उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा अधिसूचित की गई है।

(दस) अधिसूचना सं. एल-2023/31 जो 18 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 2023-2027 तक के कार्यकाल के लिए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया की इक्कीसवीं परिषद के लिए उसमें उल्लिखित ऐसे सदस्यों को, जो निर्वाचित घोषित हुए हैं, अधिसूचित किया गया है।

(ग्यारह) अधिसूचना सं. ई.एल-2023/32, जो 18 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 2023-2027 तक के कार्यकाल के लिए दि

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया की चार क्षेत्रीय परिषदों के लिए उसमें उल्लिखित ऐसे सदस्यों को, जो निर्वाचित घोषित हुए हैं, अधिसूचित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9753/17/23]

(3) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विनियम, 2023 जो 23 दिसंबर 2022 की अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/201/2023 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9754/17/23]

… (व्यवधान)

(हिन्दी)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-3, श्री प्रह्लाद जोशी।

(अनुवाद)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): महोदय, श्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1)संस्कृति मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9755/17/23]

(2) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9756/17/23]

(हिन्दी)

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नंबर-4, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 25 की उप-धारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (पराली जलाने पर पर्यावरणीय प्रतिकर का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) नियम, 2023 जो 28 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 322(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9757/17/23]

(2) राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9758/17/23]

(4) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2023 जो 5 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 414(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2023 जो 17 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 373(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 14 जून, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 435(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2023 जो 19 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 376(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पर्यावरण (तापीय विद्युत संयंत्रों द्वारा फसल अवशेषों का उपयोग) नियम, 2023 जो 12 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 499(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) पर्यावरण (संरक्षण) चौथा संशोधन नियम, 2023 जो 14 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 436(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9759/17/23]

(5) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 282(अ) जो 11 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 45(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ.6035(अ) जो 23 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 अप्रैल, 2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 489(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9760/17/23]

(6) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वन्य पशु वस्तु का वन्य जीव निपटान नियम, 2023 जो 12 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 501(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रजाति प्रजनक अनुज्ञप्ति नियम, 2023 जो 27 अप्रैल, 2023 की अधिसूचना सं. का.आ. 1950(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9761/17/23]

(7) वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 की धारा 1 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ.1394(अ) जो 23 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 2023 को उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में अधिसूचित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9762/17/23]

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-5, श्री पंकज चौधरी।

(अनुवाद)

संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): महोदय, श्री पंकज चौधरी की ओर से, मैं सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अम्बुड्समैन) (निरसन) विनियम, 2023, जो 3 जुलाई, 2023 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/138 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2023, जो दिनांक 15 मई 2023 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/129 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9763/17/23]

(2) सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) किसान विकास पत्र (दूसरा संशोधन) योजना, 2023 जो 28 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का. नि.324(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) (तीसरा संशोधन) योजना, 2023 जो 28अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का. नि 325(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) वरिष्ठ नागरिकों की बचत (तीसरा संशोधन) योजना, 2023 जो 28 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का. नि.326(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(चार) राष्ट्रीय बचत सावधि जमा (दूसरा संशोधन) योजना, 2023 जो 28 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का. नि.327(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवां निर्गम) (दूसरा संशोधन) योजना, 2023 जो 28 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का. नि.328(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(छह) सुकन्या समृद्धि खाता (संशोधन) योजना, 2023 जो 28 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का. नि.329(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(सात) राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा (संशोधन) योजना, 2023 जो 28 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का. नि.330(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(आठ) महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, 2023 जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का. नि.237(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(नौ) सरकारी बचत संवर्धन साधारण (संशोधन) नियम, 2023 जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का. नि.238(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दस) राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) (संशोधन) योजना, 2023 जो 31मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का. नि.239(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(ग्यारह) वरिष्ठ नागरिक बचत (संशोधन) योजना, 2023 जो 31 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का. नि.240(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(बारह) सरकारी बचत संवर्धन साधारण (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 जो 3 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का. नि.488(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तेरह) डाकघर बचत खाता (संशोधन) योजना, 2023 जो 6 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का. नि। 489(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(चौदह) राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) (चौथा संशोधन) योजना, 2023 जो 6 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का. नि.490(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9764/17/23]

(3) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि.505(अ) जो 14 जुलाई 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने के लिए 19 जुलाई 2022

की अधिसूचना सं. 18/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9765/17/23]

(4) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9766/17/23]

(5) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 24 की उप-धारा (2) के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिक्का निर्माण (व्याघ्र परियोजना के 50 वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2023 जो 23 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि। 212 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिक्का निर्माण (केन्द्रीय जांच ब्यूरो के हीरक जयंती वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2023 जो 29 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.234 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सिक्का निर्माण ("मन की बात की 100$^{वीं}$ कड़ी" के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2023 जो 20 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.310अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सिक्का निर्माण (राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस -ऑपरेशन शक्ति की 25$^{वीं}$ वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2023 जो 3 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 339 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सिक्का निर्माण (नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2023 जो 25 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 389 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी.9767/17/23]

(6) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/133 जो 19 जून 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हई थी जिसके द्वारा 1 सितंबर 2023 को उस तिथि के रूप में नियत किया गया है जिसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम 1992 के उपबंध लागू होंगे की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9768/17/23]

(7) वर्ष 2022-2023 के लिए केंद्र सरकार द्वारा बाजार से उधार लेने संबंधी विवरण की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9769/17/23]

(8) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, गांधीनगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी.9770/17/23]

(हिन्दी)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-6, श्री रामेश्वर तेली।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली): सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 1 की उप-धारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 2060(अ) जो 3 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 3 मई, 2023 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है, जिसको उसमें उल्लिखित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के कतिपय उपबंध लागू होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी.9771/17/23]

(2) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 16 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 2061(अ) जो 3 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 2022 की सिविल अपील संख्या 8143-8144 [2019 की एसएलपी (सी) संख्या 8658-8659], में माननीय उच्चतम न्यायालय के 4 नवम्बर, 2022 के निर्णय में अंतर्विष्ट निदेश के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9772/17/23]

(3) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वित्तीय आकलन और कार्यनिष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9773/17/23]

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-7, श्रीमती अन्नपुर्णा देवी ।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपुर्णा देवी): सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9774/17/23]

(3) (एक) समग्र शिक्षा, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9775/17/23]

(5) (एक) समग्र शिक्षा, त्रिपुरा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, त्रिपुरा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9776/17/23]

(7) (एक) समग्र शिक्षा, सिक्किम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, सिक्किम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9777/17/23]

(9) (एक) समग्र शिक्षा, मिज़ोरम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, मिज़ोरम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9778/17/23]

(11) (एक) समग्र शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9779/17/23]

(13) (एक) समग्र शिक्षा, मणिपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, मणिपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9780/17/23]

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-8, श्री सुभाष सरकार।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार): सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9781/17/23]

(3) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9782/17/23]

(5) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्याणी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्याणी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9783/17/23]

(7) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9784/17/23]

(9) (एक) आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुरामू के वर्ष 2018-2019 से 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुरामू के वर्ष 2018-2019 से 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9785/17/23]

(11) (एक) केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9786/17/23]

(13) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, रायपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, रायपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9787/17/23]

(15) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9788/17/23]

(17) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, शिलाँग के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, शिलाँग के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9789/17/23]

(19) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, कोझिकोड के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, कोझिकोड के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9790/17/23]

(21) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, सिरमौर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, सिरमौर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9791/17/23]

(23) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, जम्मू के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, जम्मू के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9792/17/23]

(25) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, रोहतक के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, रोहतक के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9793/17/23]

(27) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, रांची के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, रांची के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9794/17/23]

(29) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, काशीपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, काशीपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9795/17/23]

(31) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्यौगिकी संस्थान, वारंगल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्यौगिकी संस्थान, वारंगल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9796/17/23]

(33) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्यौगिकी संस्थान, मेघालय के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्यौगिकी संस्थान, मेघालय के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9797/17/23]

(35) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्यौगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्यौगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9798/17/23]

(37) (एक) केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9799/17/23]

(39) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्यौगिकी संस्थान, रांची के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्यौगिकी संस्थान, रांची के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9800/17/23]

(41) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्यौगिकी संस्थान, भागलपुर के वर्ष 2020-2021 और वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्यौगिकी संस्थान, भागलपुर के वर्ष 2020-2021 और वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्यौगिकी संस्थान, भागलपुर के वर्ष 2020-2021 और वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9801/17/23]

(43) (एक) महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9802/17/23]

(45) नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9803/17/23]

(47) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9804/17/23]

(49) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, गया के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, गया के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, गया के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9805/17/23]

(51) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) पर उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9806/17/23]

(53) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9807/17/23]

(55) (एक) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) उपर्युक्त (55) पर उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9808/17/23]

(57) मणिपुर यूनिवर्सिटी, इम्फाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9809/17/23]

(59) (एक) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, दोमुख के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, दोमुख के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, दोमुख के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) उपर्युक्त (59) पर उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9810/17/23]

(61) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) उपर्युक्त (61) पर उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9811/17/23]

(63) (एक) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9812/17/23]

(65) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन ।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9813/17/23]

(67) मिजोरम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा 46 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मिजोरम विश्वविद्यालय (संशोधन) परिनियम, 2022 जो 11 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. 5-40/स्था.1/19/4 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) "स्कूल्स ऑफ स्टडीज को विभागों का समनुदेशन संबंधी" अध्यादेश ओए-1 का संशोधन जो 11 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. 5-40/स्था.1/19/6 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9814/17/23]

(68) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कॉलेजों को स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान किया जाना और स्वायत्तशासी कॉलेजों में मानकों के अनुरक्षण के उपाय) विनियम, 2023 जो 3 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.1-18/2021 (सीपीपी-2) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (डीम्ड विश्वविद्यालय वाली संस्थाएं) विनियम, 2023 जो 2 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.1-1/2021 (सीपीपी-1/डीयू) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9815/17/23]

(69) फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9816/17/23]

(71) महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, पूर्वी चम्पारण के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9817/17/23]

(73) नागालैण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 1989 की धारा 47 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सं.एनयू/ओआरडी-01/2023-4978(अ) जो 1 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा नागालैण्ड विश्वविद्यालय के कतिपय संशोधित और नए अध्यादेशों को अधिसूचित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9818/17/23]

———————

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-9, डॉ. भागवत कराड।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-10, श्री गुमान सिंह दामोर।

अपराह्न 2.03 बजे

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सबंधी समिति

25वां तथा 26वां प्रतिवेदन

(अनुवाद)

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर (रतलाम): महोदय, मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

1. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) से संबंधित 'आरक्षण नीति के निरूपण, कार्यान्वयन और निगरानी में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की भूमिका' विषय के बारे में पच्चीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा)।
2. वित्त मंत्रालय से संबंधित 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/भारतीय रिजर्व बैंक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी) के विशेष संदर्भ में ऐसी संस्थाओं/बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को प्रदान की जा रही ऋण सुविधाएं और अन्य लाभ' विषय के बारे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 14वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 26वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)

———

(हिन्दी)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-11, श्री पी.पी. चौधरी जी।

अपराह्न 2.031⁄2 बजे

विदेशी मामलों संबंधी समिति

विवरण

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): सभापति जी, मैं 'कोविड-19 वैश्विक महामारी: वैश्विक प्रत्युत्तर, भारत का योगदान और भावी योजना' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।... (व्यवधान)

———

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-12, श्री पंकज चौधरी।

अपराह्न 2.04½ बजे

'शिक्षा उपकर' के संबंध में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 680 के दिनांक 06.02.2023 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला और विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण*

(अनुवाद)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापति जी, मैं 'शिक्षा उपकर' के बारे में श्री टी.आर. बालू, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 680 के 6 फरवरी, 2023 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

* सभा पटल पर रखा गया और पुस्तकालय में भी रखा गया देखें संख्या एलटी 9746/17/23.

"Paper to be laid on the Table of Lok Sabha"

STATEMENT TO BE LAID BY THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE CORRECTING THE ANSWER TO PART (a) and (b) OF THE UNSTARRED QUESTION NO. 680 GIVEN IN THE LOK SABHA ON 06.02.2023 REGARDING EDUCATION CESS

I beg to correct the Part (a) to (d) given in the answer to Unstarred Question No. 680 in the Lok Sabha on 06.02.2023 regarding "Education Cess" as follows:

	For	Read
(a) whether Education Cess collected by Government is transferred to the Ministry of Education in full every year;	Ministry of Education is eligible for 60% and 15% of the total proceeds of Health & Education Cess to Prarambhik Shiksha Kosh (PSK) and Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh** (MUSK) respectively. The following table shows the actual transfer of share to the Ministry of Education during last 5 years:	Ministry of Education is eligible for 60% and 15% of the total proceeds of Health & Education Cess to Prarambhik Shiksha Kosh (PSK) and Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh (MUSK)** respectively. The following table shows the actual transfer of share to the Ministry of Education during last 5 years:
(b) if so, the details thereof for the last five years;	(Rs. in Crore)	(Rs. in Crore)
(c) whether there has been any shortfalls in transferring the said cess and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and		
(d) the extent to which the realization of targets have been impacted because of the said shortfalls in transfer of education cess to the Ministry of Education?		

Financial Year	Cess Collected under Health & Education Cess	Eligible percentage share of Ministry of Education	Total amount allocated to Ministry of Education
2018-19	41177.44	**28412.43**	25227.90
2019-20	39131.09	**27000.45**	41308.60
2020-21	35821.54	**24716.86**	50729.61
2021-22	52732.33	**36385.31**	56788.25
2022-23*	62500.01	**43125.01**	62350.00
Total	231362.41	**159640.06**	236404.36**

**Revised Estimates 2022-23*

*** The Reserve Fund related to the MUSK has not been created but the amount is being utilized by the Ministry of Education for the Schemes*

Financial Year	Cess Collected under Health & Education Cess	Eligible percentage share of Ministry of Education	Total amount allocated to Ministry of Education
2018-19	41177.44	**30883.08**	25227.90
2019-20	39131.09	**29348.32**	41308.60
2020-21	35821.54	**26866.16**	50729.61
2021-22	52732.33	**39549.25**	56788.25
2022-23*	62500.01	**46875.01**	62350.00
Total	231362.41	**173521.82**	236404.36**

**Revised Estimates 2022-23*

*** The Reserve Fund related to the MUSK has no been created but the amount is being utilized by th Ministry of Education for the Schemes*

The inconvenience caused is regretted.

972

"Paper to be laid on the Table of Lok Sabha"

[illegible]
(PANKAJ CHAUDHARY)
[illegible]

STATEMENT GIVING REASONS FOR DELAY IN MAKING CORRECTION STATEMENT IN RESPECT OF LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 680 DATED 06.02.2023 ASKED BY SHRI T. R. BAALU REGARDING "EDUCATION CESS"

Lok Sabha Unstarred Question No. 680 was answered on 6th February 2023. The reply included information related the eligible percentage share of Ministry of Education out of the total Health & Education Cess collected. This was based on the eligibility of Ministry of Education for 60% and 15% of the total proceeds of Health & Education Cess to Prarambhik Shiksha Kosh (PSK) and Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh (MUSK) respectively. However, in April 2023, during internal reconciliation/scrutiny of data, it was observed that the information furnished in reply to the above mentioned Parliament Question, particularly the information in column 3 of the Table, was not as per the eligible percentage share of the M/o Education. This was due to an inadvertent calculation mistake where the 'eligible percentage share of Ministry of Education' was taken as 69% (60% for Primary Education and 15% of the 60% for Higher Education) instead of 75% (60% for Primary Education and 15% for Higher Education) of the Health & Education Cess collected.

In view of the above, the Notice for correcting the reply to the above mentioned Parliament Question could not be sent within a week after the date of reply. The Statement to correct the reply to Untarred Question No. 680 answered on 06.02.2023 is being laid on the table of Lok Sabha during the current Session.

Government of India
Ministry of Finance,

Department of Economic Affairs
Lok Sabha
Unstarred Question No. 680
To be answered on Tuesday, the 6th February, 2023

Education Cess

QUESTION

680. Shri T.R. Baalu

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether Education Cess collected by Government is transferred to the Ministry of Education in full every year;
(b) if so, the details thereof for the last five years;
(c) whether there has been shortfalls any in transferring the said cess and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and
(d) the extent to which the realization of targets has been impacted because of the said shortfalls in transfer of education cess to the Ministry of Education?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

(a) to (d)

Ministry of Education is eligible for 60% and 15% of the total proceeds of Health and Education Cess to Prarambhik Shiksha Kosh (PSK) and Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh (MUSK**) respectively. The following table shows the actual transfer of share to the Ministry of Education during last 5 years:

(Rs. in Crore)

Financial Year	Cess Collected under Health & Education Cess	Eligible percentage share of Ministry of Education	Total Amount allocated to Ministry of Education
2018-19	41177.44	28412.43	25227.90
2019-20	39131.09	27090.45	41308.60
2020-21	35821.54	24716.86	50729.61
2021-22	52732.33	36385.31	56788.25
2022-23*	63500.01	43125.01	62350.00
Total	231362.41	159640.06	236404.36

Revised Estimates 2022-23

***The Reserve Fund related to the MUSK has not been created but the amount is being utilized by Ministry of Education for the schemes*

******

CORRECTED REPLY

924

Government of India
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs
Lok Sabha
Unstarred Question No. 680
Answered on Tuesday the 6th February, 2023

Education Cess

QUESTION

680. Shri T.R. Balu

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether Education Cess collected by Government is transferred to the Ministry of Education in full every year;
(b) if so, the details thereof for the last five years;
(c) whether there has been any shortfalls any in transferring the said cess and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ; and
(d) the extent to which the realization of targets have been impacted because of the said shortfalls in transfer of education cess to the Ministry of Education?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

(a) to (d)

Ministry of Education is eligible for 60% and 15% of the total proceeds of Health & Education Cess to Prarambhik Shiksha Kosh (PSK) and Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosj (MUSK)** respectively. The following table shows the actual transfer of share to the Ministry of Education during last 5 years:

(Rs. in Crore)

Financial Year	Cess Collected under Health & Education Cess	Eligible percentage share of Ministry of Education	Total amount allocated to Ministry of Education
2018-19	41177.44	30883.08	25227.90
2019-20	39131.09	29348.32	41308.60
2020-21	35821.54	26866.16	50729.61
2021-22	52732.33	39549.25	56788.25
2022-23*	62500.01	46875.01	62350.00
Total	231362.41	173521.82	236404.36**

Revised Estimates 2022-23

** *The Reserve Fund related to the MUSK has not been created but the amount is being utilized by the Ministry of Education for the schemes.*

975

"लोकसभा के पटल पर रखा जाने वाला कागज"

शिक्षा उपकर के संबंध में दिनांक 06.02.2023 को लोकसभा में दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 680 के भाग (क) और (ख) के उत्तर को सही करते हुए वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण

मैं "शिक्षा उपकर" के संबंध में दिनांक 06.02.2023 को लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 680 के उत्तर में दिए गए भाग (क) से (घ) को निम्नानुसार सही करने का अनुरोध करता हूं:

	के लिए	पढ़ा जाए
(क) क्या सरकार द्वारा संग्रहित कुल शिक्षा उपकर शिक्षा मंत्रालय को प्रतिवर्ष आवंटित कर दी जाती है; (ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; (ग) क्या उक्त उपकर को आवंटित करने में कोई कमी दर्ज की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और (घ) शिक्षा मंत्रालय को शिक्षा उपकर हस्तांतरण में आई कमी के कारण लक्ष्य प्राप्ति किस हद तक प्रभावित हुई है?	शिक्षा मंत्रालय प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) और माध्यमिक और उच्च शिक्षा कोष (एमयूएसके) के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की कुल आय का क्रमशः 60 प्रतिशत और 15 प्रतिशत के लिए पात्र है। निम्न सारणी पिछले 5 वर्षों के दौरान शिक्षा मंत्रालय को शेयर के वास्तविक हस्तांतरण को दर्शाती है:	शिक्षा मंत्रालय प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) और माध्यमिक और उच्च शिक्षा कोष (एमयूएसके) के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की कुल आय का क्रमशः 60 प्रतिशत और 15 प्रतिशत के लिए पात्र है। निम्न सारणी पिछले 5 वर्षों के दौरान शिक्षा मंत्रालय को शेयर के वास्तविक हस्तांतरण को दर्शाती है:

(रु. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर के तहत एकत्रित उपकर	शिक्षा मंत्रालय के प्रतिशत शेयर की पात्रता	शिक्षा मंत्रालय को आवंटित कुल राशि
2018-19	41177.44	**28412.43**	25227.90
2019-20	39131.09	**27000.45**	41308.60
2020-21	35821.54	**24716.86**	50729.61
2021-22	52732.33	**36385.31**	56788.25
2022-23*	62500.01	**43125.01**	62350.00
Total	231362.41	**159640.06**	236404.36**

*संशोधित अनुमान *2022-23*

** *एमयूएसके से संबंधित आरक्षित निधि का सृजन नहीं किया गया है लेकिन इस राशि का उपयोग शिक्षा मंत्रालय द्वारा योजनाओं के लिए किया जा रहा है।*

(रु. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर के तहत एकत्रित उपकर	शिक्षा मंत्रालय के प्रतिशत शेयर की पात्रता	शिक्षा मंत्रालय को आवंटित कुल राशि
2018-19	41177.44	**30883.08**	25227.90
2019-20	39131.09	**29348.32**	41308.60
2020-21	35821.54	**26866.16**	50729.61
2021-22	52732.33	**39549.25**	56788.25
2022-23*	62500.01	**46875.01**	62350.00
Total	231362.41	**173521.82**	236404.36**

*संशोधित अनुमान *2022-23*

** *एमयूएसके से संबंधित आरक्षित निधि का सृजन नहीं किया गया है लेकिन इस राशि का उपयोग शिक्षा मंत्रालय द्वारा योजनाओं के लिए किया जा रहा है।*

असुविधा के लिए खेद है।

~~"लोकसभा के पटल पर रखे जाने वाला विवरण"~~

"शिक्षा उपकर" के संबंध में श्री टीआर बालू द्वारा पूछे गए लोकसभा के दिनांक 06.02.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 680 के संबंध में सुधार करने के ब्यौरे को देने में विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 680 का उत्तर दिनांक 6 फरवरी 2023 को दिया गया था। उत्तर में स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर से एकत्रित कुल राशि में शिक्षा मंत्रालय के पात्र प्रतिशत हिस्से से संबंधित जानकारी शामिल थी। यह स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की कुल आय में क्रमशः 60% शिक्षा मंत्रालय के लिए और 15% प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) की पात्रता पर आधारित था। हालाँकि, अप्रैल 2023 में, डेटा के आंतरिक मिलान/जांच के दौरान, यह देखा गया कि उपर्युक्त संसदीय प्रश्न के उत्तर में दी गई जानकारी, विशेष रूप से तालिका के कॉलम 3 में दी गई जानकारी, शिक्षा मंत्रालय के पात्र प्रतिशत हिस्सेदारी के अनुसार नहीं थी। यह एक अनजाने में हुई गणना की गलती के कारण हुआ, जहां स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर से एकत्रित राशि में से 'शिक्षा मंत्रालय का पात्र प्रतिशत हिस्सा' 75% (प्राथमिक शिक्षा के लिए 60% और उच्च शिक्षा के लिए 15%) के बजाय 69% (प्राथमिक शिक्षा के लिए 60% और उच्च शिक्षा के लिए 60% का 15%) लिया गया था।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, उल्लिखित संसदीय प्रश्न के उत्तर को सही करने की सूचना उत्तर की तारीख के एक सप्ताह के भीतर नहीं भेजी जा सकी। दिनांक 06.02.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 680 के दिए गए उत्तर को सही करने का ब्यौरा वर्तमान सत्र के दौरान लोकसभा के पटल पर रखा जा रहा है।

977

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 690
(जिसका उत्तर सोमवार, 06 फरवरी, 2023/17 माघ, 1944 (शक) को दिया जाना है)

शिक्षा उपकर

690. श्री टी. आर. बालू:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा संग्रहित कुल शिक्षा उपकर शिक्षा मंत्रालय को प्रतिवर्ष आवंटित कर दी जाती है;
(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त उपकर को आवंटित करने में कोई कमी दर्ज की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) शिक्षा मंत्रालय को शिक्षा उपकर हस्तांतरण में आई कमी के कारण लक्ष्य प्राप्ति किस हद तक प्रभावित हुई है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ)
शिक्षा मंत्रालय प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) और माध्यमिक और उच्च शिक्षा कोष (एमयूएसके**) के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की कुल आय का क्रमशः 60 प्रतिशत और 15 प्रतिशत के लिए पात्र है। निम्न सारणी पिछले 5 वर्षों के दौरान शिक्षा मंत्रालय को शेयर के वास्तविक हस्तांतरण को दर्शाती है:

(रु. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर से सकल एकत्रित उपकर	शिक्षा मंत्रालय के प्रतिशत शेयर की मात्रा	शिक्षा मंत्रालय को आवंटित कुल राशि
2018-19	41177.44	23412.43	25227.90
2019-20	39131.09	27000.45	41308.60
2020-21	36821.54	24716.26	50729.61
2021-22	52732.33	36385.31	58788.25
2022-23*	62500.01	43125.01	62350.00
कुल	231362.41	159640.06	256404.36

* संशोधित अनुमान 2022-23
** एमयूएसके से संबंधित आरक्षित निधि नहीं बनाया गया है लेकिन शिक्षा मंत्रालय द्वारा योजनाओं के लिए राशि का उपयोग किया जा रहा है

१७४

जी उत्तर

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 680
(जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2023/17 माघ, 1944 (शक) को दिया गया)

शिक्षा उपकर

680. श्री टी. आर. बालू:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा संग्रहित कुल शिक्षा उपकर शिक्षा मंत्रालय को प्रतिवर्ष आवंटित कर दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त उपकर को आवंटित करने में कोई कमी दर्ज की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) शिक्षा मंत्रालय को शिक्षा उपकर अंतरण में आई कमी के कारण लक्ष्य प्राप्ति किस हद तक प्रभावित हुई है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ)

शिक्षा मंत्रालय प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा कोष (एमयूएसके) के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की कुल आय के क्रमशः 60 प्रतिशत और 15 प्रतिशत के लिए पात्र है। निम्न तालिका पिछले 5 वर्षों के दौरान शिक्षा मंत्रालय को शेयर के वास्तविक अंतरण को दर्शाती है:

(रु. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर के तहत एकत्रित उपकर	शिक्षा मंत्रालय के प्रतिशत शेयर की पात्रता	शिक्षा मंत्रालय को आवंटित कुल राशि
2018-19	41177.44	30883.08	25227.90
2019-20	39131.09	29348.32	41308.60
2020-21	35821.54	26866.16	50729.61
2021-22	52732.33	39549.25	56788.25
2022-23*	62500.01	46875.01	62350.00
कुल	231362.41	173521.82	236404.36**

* संशोधित अनुमान 2022-23

** एमयूएसके से संबंधित आरक्षित निधि नहीं बनाया गया है लेकिन शिक्षा मंत्रालय द्वारा योजनाओं के लिए राशि का उपयोग किया जा रहा है।

<u>अपराह्न 2.05 बजे</u>

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के संबंध में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 340वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति§*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय): महोदय, श्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से, मैं संस्कृति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों (2023-24) की मांगों पर परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति की 340वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ।

———————

(हिन्दी)

माननीय सभापति : आइटम नंबर – 14, श्री राजीव चन्द्रशेखर जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नंबर – 15, श्री बी.एल. वर्मा जी।

---

§* *सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9747/17/23.

(अनुवाद)

<u>अपराह्न 2.05½ बजे</u>

(3) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 243वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति***

(हिन्दी)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा): माननीय सभापति जी, मैं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 243वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

———

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नंबर – 16, डॉ. सुभाष सरकार जी।

*** *सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9749/17/23.

<u>अपराह्न 2. 06 बजे</u>

(4) (क) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवा और खेल संबंधी स्थाई समिति के 337वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 345वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति††*

<u>(अनुवाद)</u>

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सुभाष सरकार): महोदय, मैं उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवाओं और खेल संबंधी स्थाई समिति के 337वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 345वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

†† * *सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9750/17/23.

(ख) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023 - 24) के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 348वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।‡‡*

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सुभाष सरकार): महोदय, मैं उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों (2023-24) के बारे में शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवाओं और खेल संबंधी स्थाई समिति के 348वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति बारे में निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं

———

… (*व्यवधान*)

‡‡* *सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9751/17/23.

अपराह्न 2.07 बजे

नियम 377 के अधीन मामले§§*

(हिन्दी)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति प्रदान की गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे अपने मामले के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के भीतर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा, जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय पर सभा पटल पर प्राप्त हो गया है। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

… (व्यवधान)

(एक) पश्चिम ओडिशा में ओडिशा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित करने की आवश्यकता

श्री बसंत कुमार पंडा (कालाहाण्डी): मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पश्चिम ओडिशा में उच्च न्यायालय बेंच न होने के कारण याचिकाकर्ताओं को 500 किमी० ओडिशा उच्च न्यायालय, कटक जाना पड़ता है, जिसके कारण हर वर्ग के लोगों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनका जाने-आने में कई गुना खर्चा बढ़ जाता है, इसलिए कुछ व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपना केस दाखिल नहीं कर पाते है। मंत्री से निवेदन है कि राज्य सरकार और मुख्य न्यायाधीश (ओडिशा उच्च न्यायालय) को पश्चिम ओडिशा के एक जिले में उच्च न्यायालय बेंच स्थापित करने हेतु स्थान की पहचान करने हेतु निर्देशित करें। मैं सरकार का ध्यान उड़ीसा उच्च न्यायालय में लंबित मुद्दों को कम करने के लिए उड़ीसा के पश्चिम क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय बेंच की जल्द से जल्द शुरुआत करने का आग्रह करता हूं जिससे पश्चिम उड़ीसा के लोगों को इसका लाभ मिल सके और हर वर्ग का व्यक्ति अपने हक की लड़ाई के लिए आसानी से उच्च न्यायालय में पहुंच सके।

---

§§* सभा पटल पर रखे गए माने गए।

(दो) रायचूर में एम्स की स्थापना किए जाने के बारे में

(अनुवाद)

श्री राजा अमरेश्वर नायक (राइचूर): सरकार ने कर्नाटक में ऐम्स की स्थापना की घोषणा की थी। रायचूर और यदगिरी को सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है और उन्हें अनुच्छेद 371ञ के तहत विशेष दर्जा मिला है। वे 70 प्रतिशत एस.सी/एस.टी/ओ.बी.सी. आबादी और 59 प्रतिशत साक्षरता दर के कारण आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल हैं। रायचूर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की अधिकांश आबादी आर्थिक रूप से गरीब हैं और वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं देने में भी असमर्थ हैं। यदि यहां पर एम्स स्थापित कर दिया जाए तो जनता के लिए शैक्षणिक और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा और बेरोजगार युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर भी सृजित होंगे। कर्नाटक में क्षेत्रीय असंतुलन पर डॉ. डी.एम. नंजुंदप्पा समिति ने कलबुर्गी में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और रायचूर में आई.आई.टी. की स्थापना किए जाने की सिफारिश की थी। 2011 में कालबुर्गी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल गई लेकिन आई.आई.टी. धारवाड़ को चला गया। कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है और लोग चिकित्सा के लिए बेंगलुरु/पुणे/हैदराबाद पर निर्भर हैं। रायचूर में संक्रामक रोगों के सबसे अधिक मामले हैं और 56 से 73 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं/बच्चे कुपोषित हैं। लोग चिकित्सा उपचार पर आय का 76 प्रतिशत से अधिक खर्च करने के लिए मजबूर हैं। हाल ही में, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी रायचूर में एम्स स्थापित करने पर पूर्ण बुनियादी ढांचे प्रदान करने का आश्वासन दिया है। अतः मैं सरकार से रायचूर में यथाशीघ्र एक एम्स स्थापित करने की मांग करता हूँ।

(तीन) वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को छपरा या सिवान से दिल्ली, कोलकाता और वाराणसी तक चलाए जाने की आवश्यकता

(हिन्दी)

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): मेरा संसदीय क्षेत्र महाराजगंज लोकसभा, बिहार, उत्तरी बिहार के सारण प्रमंडल के सिवान एवं सारण (छपरा) जिला में विस्तारित है। इन जिलों का उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग के कई जनपदों का सीमावर्ती लगाव है। ऐसे में उत्तर प्रदेश और बिहार की आम जनता का रेल से आवागमन हेतु पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा जं.एवं सिवान जं.का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। आज आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में तेज गति से कम समय में देश के अंदर रेल से आवागमन हेतु "बंदे भारत" ट्रेन चलाया जा रहा है। इसलिए जनहित में मेरा भी मांग है कि छपरा जं.या सिवान जं. से दिल्ली, कोलकता और वाराणसी के लिए एक बंदे भारत ट्रेन चलाया जाये।

अत: माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि छपरा जं.या सिवान जं. से उपर्युक्त स्थानों के लिए बंदे भारत ट्रेन का संचालन जल्द से जल्द कराया जाए ताकि हमारे संसदीय क्षेत्र सहित उत्तर बिहार की आम जनता को आधुनिक रेल सुविधा का लाभ मिल सके।

(चार) मध्य प्रदेश में किसानों को घटिया मक्का बीज वितरित करने वाली बीज कंपनी का लाइसेंस रद्द किए जाने की आवश्यकता

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): इस वर्ष सिवनी जिले सहित मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में किसानों ने तेलंगाना की मक्का बीज उत्पादक एक कंपनी विशेष का मक्का बीज कंपनी द्वारा अधिकृत स्थानीय वितरकों, दुकानदारों से विक्रय किया था, किंतु किसानों को बेचे गये बीज की गुणवत्ता अत्यंत खराब होने के कारण अंकुरण नहीं हो पाया। किसानों का कहना है कि इसकी बोनी के बाद अंकुरण नहीं हुआ, जिस कारण कई किसानों ने दोबारा बोनी करनी पड़ी है। बीज के अंकुरण न होने के कारण किसानों को दोबारा मक्का की बोनी करने से उन्हें बीज के मूल्य सहित खाद, दवाएं एवं दोबारा जुताई करने के कारण अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ा एवं किसानों को काफी हानि का सामना करना पड़ा है। किसानों के खेत खाली हैं, विभागीय अधिकारियों के द्वारा समय पर कार्यवाही न करने के कारण सिवनी जिले के किसानों सहित संपूर्ण प्रदेश के किसान एडवांटा कंपनी के द्वारा बेचे गये मक्का बीज के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। इसी से प्रताड़ित होकर सिवनी जिले के किसान ने आत्मदाह तक का प्रयास किया।

ऐसे अमानक, गुणवत्ता हीन बीज का उत्पादन करने वाली इस कंपनी का लाईसेंस तत्काल निरस्त करते हुए किसानों को मय क्षतिपूर्ति के मुआवजा प्रदान करने का कष्ट करें।

(पांच) राजापुर रोड स्टेशन पर जन शताब्दी एक्सप्रेस या तेजस एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव के बारे में

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): मैं माननीय रेलमंत्री जी का ध्यान रत्नागिरी से कणकवली के बीच यात्रा करने वाले रेलयात्रियों की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ। रत्नागिरी से कणकवली के बीच 120 किलोमीटर के रेलमार्ग में सिर्फ चार ट्रेनों का स्टॉपेज़ है- कोकण एक्सप्रेस, सावंतवाड़ी दादर एक्सप्रेस, दिवा एक्सप्रेस और मांडवी एक्सप्रेस। इसके अलावा इस 120 किलोमीटर के फासले में कोई अन्य एक्सप्रेस रेलगाड़ी नहीं रूकती है।

मेरा माननीय रेल मंत्री महोदय से सविनय निवेदन है कि इस 120 किलोमीटर के बीच पड़ने वाले राजापुर रोड़ स्टेशन में जन शताब्दी एक्सप्रेस या तेजस एक्सप्रेस का एक स्टॉपेज देने की कृपा करे। रत्नागिरी से कणकवली के बीच और इस स्टेशन के आस पास लगभग 12 हजार से अधिक प्रवासी रहते हैं, जो मुम्बई सहित अन्य स्थानों पर जीविकोपार्जन के लिए आते जाते रहते है। राजापुर रोड़ पर स्टॉपेज होने से इन 12 हजार से अधिक लोगों को काफी राहत और लाभ होगा और इन्हें अपने गंतव्य तक पहुँचने में सुविधा मिलेगी। साथ ही कोंकण के लोग जो मुंबई और किसी अन्य स्थान पर रोजगार के कारण प्रवास करते हैं और फेस्टिवल्स में या छुट्टियों में अपने घर आना चाहते हैं उन्हें राहत मिलेगी।

(छह) हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय में एक राष्ट्रीय स्तर का खेल संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़): तत्कालीन केन्द्र सरकार ने 2009 में पूरे देश में 16 नये केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए थे। इनमें से एक मेरी लोकसभा क्षेत्र में आता है। इस विश्वविद्यालय में लगभग 6000 हजार बच्चा पढ़ता है। इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा या खेलकूद का एक भी संस्थान नहीं है।

हरियाणा तो वैसे भी खेलों में अच्छा प्रदर्शन करता है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्तर का खेल संस्थान स्थापित किया जाए। दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा,पाली (महेंद्रगढ़) में बहुत से कोर्स शुरु नहीं किए गए है। मेडिकल कॉलेज सहित बाकी सभी कोर्सों को जल्द से जल्द शुरु कराए जाए। विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज की घोषणा बहुत पहले की जा चुकी है। लेकिन अभी तक मेडिकल कॉलेज को शुरु नहीं किया गया है और रिक्त पदों को भी जल्द से जल्द भरवाया जाए ताकि विद्यार्थियों को फायदा मिल सके।

(सात) हरियाणा में घग्गर नदी के कारण आई बाढ़ के बारे में

(अनुवाद)

सुश्री सुनीता दुग्गल (सिरसा): मैं क्षेत्र में भारी बारिश के मद्देनजर मेरे संसदीय क्षेत्र में घग्गर नदी के कारण आई बाढ़ के मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। घग्गर नदी, जो सिरसा संसदीय क्षेत्र के 87 गांवों (सिरसा में 49, फतेहाबाद में 38) से बहती है, वर्तमान में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस वर्ष, हरियाणा के सिरसा संसदीय क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति विशेष रूप से गंभीर है, जिसके कारण नदी के दोनों ओर के कई गाँवों में बाढ़ आ गई है। हालांकि, हरियाणा सरकार, स्थानीय प्रशासन, सैन्य और प्रमुख सामाजिक सेवा संगठन प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान कर रहे हैं, और परिणाम स्वरूप, किसी भी जान या मवेशियों के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। नदी के कुछ चिन्हित तट, जो अक्सर टूट जाते हैं, को भविष्य की इसी तरह की समस्याओं को कम करने के लिए मजबूत किया जाना चाहिए। इसलिए, मैं माननीय जल शक्ति मंत्री से आग्रह करती हूं कि न केवल सिरसा संसदीय क्षेत्र में बल्कि घग्गर नदी के जहां भी टूटने की आशंका है, वहां बाढ़ नियंत्रण और नदी प्रबंधन के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जी.एफ.सी.सी) द्वारा तकनीकी सहायता के साथ-साथ केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। इससे भविष्य में भारी बारिश के कारण घग्गर नदी में बाढ़ आने की स्थिति में टाले जा सकने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी।

(आठ) महिलाओं, बच्चों और दलितों को सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता (हिन्दी)

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): राजस्थान में अपराध की स्थिति दिनों दिन बिगडती जा रही है। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि महिलाओं, बच्चियों और दलितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन विषयों का संज्ञान लें और राजस्थान प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार को समुचित दिशा-निर्देश जारी करें।

(नौ) अहमदाबाद में समाप्त होने वाली रेल सेवा को राजकोट तक विस्तारित किए जाने की आवश्यकता

श्री मोहनभाई कुंडारिया (राजकोट): मैं रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि कई ट्रेनों की यात्रा अहमदाबाद स्टेशन में समाप्त होने के बाद और अगले परिचालन के ले- ओवर अवधि के आधार पर उक्त ट्रेनों को राजकोट तक विस्तार करने की संभाव्यता है, इसीलिए कई बार मांग रखी गयी है। सुरेंद्रनगर राजकोट सेक्शन पर ट्रैक दोहरीकरण का काम पूरा होने के कगार पर है, और साथ ही राजकोट में नई अत्याधुनिक पिट लाइन की उपलब्धता भी शामिल है, इसलिए उक्त ट्रेनों के विस्तार करने का अवसर है, जिससे रेलवे और सौराष्ट्र के यात्रियों को भी लाभ होगा। अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि, उक्त ट्रेनों को अहमदाबाद से राजकोट तक विस्तार करने का शीघ्र आदेश दें, इससे न केवल रेलवे को, बल्कि सौराष्ट्र के सभी नागरिकों को भी सुविधा होगा।

(दस) प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जिन व्यक्ति (ओं) के शरीर का पता नहीं चल पाता है, उन्हें मृत मानने की अवधि 7 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): बाढ़, तूफान, भूकंप तथा भूस्खलन इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं के कारण देश के विभिन्न भागों में जनहानि होती रहती है। इस प्रकार की दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तिओं में कुछ के शव प्राप्त हो जाते हैं परन्तु प्रभावित क्षेत्रों में शवों को ढूंढना अत्यंत कठिन होने के कारण अनेक व्यक्तियों के शव प्राप्त नहीं हो पाते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 108 के अनुसार इन संभवतः मृत लेकिन लापता व्यक्तियों को सात वर्ष तक मृत नहीं माना जाता। परिणामस्वरूप इन प्रभावित परिवारों को बीमा, मुआवजा इत्यादि का लाभ नहीं मिल पाता तथा संपत्ति इत्यादि के मामले भी अटके रहते हैं। दुर्घटना के कारण पहले से ही भावनात्मक और मानसिक आघात से पीड़ित परिवार की आर्थिक समस्याएं इस कारण और भी बढ़ जाती हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु की धारणा पर निर्णय करने हेतु सात वर्ष की यह समयावधि वास्तव में लंबी हो जाती है। आधुनिक तकनीकी सुविधाओं का उपयोग करके इस समयावधि को कम किया जा सकता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण अप्राप्त शवों के व्यक्तियों की मृत्यु की धारणा सम्बन्धी नियम की समीक्षा करके उसे वर्तमान सात वर्ष के स्थान पर अधिकतम तीन वर्ष किया जाए।

(ग्यारह) नांदेड़ से मुंबई, अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली और हैदराबाद के लिए उड़ान सेवाओं को पुन: शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर (नांदेड़): मेरा संसदीय क्षेत्र नांदेड़ हुजूर सचखंड गुरु गोविंद सिंह जी की भूमि है। कोविड के बाद नांदेड़ से दिल्ली और मुंबई तथा अमृतसर/चंडीगढ़ की विमान सेवाएं बंद की गई थीं। तब से अब तक सभी विमान सेवाएं शुरू नही की गई है। जबकि अब सब सामान्य हो चुका है। नांदेड़ से देश ही नहीं विदेश से भी बहुत यात्री विमान सेवाओं का उपयोग करते हैं। मैने इस बारे में कई बार पत्र लिखकर मांग भी की है लेकिन अभी तक नांदेड़ की विमान सेवाओं को फिर से शुरू नहीं किया गया है। जबकि पर्याप्त मात्रा में यात्री भी मौजूद हैं, जिससे कि विभाग को अच्छा राजस्व भी प्राप्त होता हैं।

जनहित में सरकार से मेरी मांग है कि नांदेड़ से मुंबई, अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली तथा हैदराबाद की विमान सेवाओं को पुनः शुरू किया जाए।

(बारह) गुजरात में पालानपुर और गांधीधाम रेलवे लाइन के बीच समपार संख्या 43 पर एक रेल ओवर ब्रिज बनाए जाने की आवश्यकता

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के अंतर्गत भीलडी गाँव के पास भीलडी नेसडा पेपलू नामक एक बड़ी जिले की सड़क है जो थराद और दीयोदर तहसील को जोडती हुई मुख्य सड़क है एवं इसी पर पालनपुर गांधीधाम रेलवे डबल लाइन में एल.सी 43 स्थित है और इसके नजदीक का गाँव सोयला पड़ता है। इस रोड से आसपास के 30 से 40 गांवों की आबादी आवागमन करती है। भीलडी एक विकसित क्षेत्र है और यहाँ यह फाटक दिन में कई बार बंद रहने की वजह से यहाँ से गुजरने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर ओवरब्रिज बनाये जाने की अत्यंत आवश्यकता है। अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि एल.सी 43 पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाये जाने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(तेरह) अकबरपुर संसदीय क्षेत्र में फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के अंडरपासों में जल-भराव की समस्या के बारे में

श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले' (अकबरपुर): मैं सरकार का ध्यान मेरे लोकसभा क्षेत्र अकबरपुर (उत्तर प्रदेश) में रेलवे फ्रेट कॉरिडोर योजना के अंतर्गत डीएफसीसीआईएल की कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अंडरपासों के त्रुटिपूर्ण निर्माण के कारण अंडरपासों में जलभराव के कारण बाधित आवागमन की समस्या एवं क्षतिग्रस्त सडको की मरम्मत कराने पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। रेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया के द्वारा रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण में लगातार माल ढुलाई में लगे भारी वाहनों के आवागमन के चलते जनपद कानपुर देहात एवं जनपद कानपुर नगर की लोक निर्माण विभाग एवं अन्य विभागों से निर्मित कई सड़कें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने तथा मानकों के विपरीत निर्मित कराये गए रेलवे अंडर पासों पर जलभराव के कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में हो रही असुविधाओं के सम्बन्ध में मैंने अध्यक्ष रेलवे बोर्ड को दिनांक 19.11.2019 एवं कोई कार्यवाही न होने के कारण दिनांक 15.09.2020 को प्रकरण को लोकसभा सदन में शून्य काल के माध्यम से समस्या का निदान कराये जाने हेतु आग्रह किया था इसके उपरांत दिनांक 01.06.2021 तथा दिनांक 04.08.2021 एवं दिनांक 01.11.2021 को पत्र एवं भेंट कर अध्यक्ष रेलवे बोर्ड से पुनः आग्रह किया था। इसके पश्चात मेरे द्वारा दिनांक 13.11.2021 को भावपुर से सरसौल तक एवं दिनांक 15.11.2021 कंचौसी से भावपुर तक समस्त अधिकारीयों एवं क्षेत्रीय जनों की मौजूदगी में स्थलीय निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान जर्जर सड़कों एवं मानकों के विपरीत बनाये गए अंडर पासों से आवागमन की समस्या डी०एफ०सी०सी०एल० एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों द्वारा कथित रूप से किये गए अनैतिक व्यवहार के कारण क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा रोष व्यक्त करते हुए रेलवे सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं को मौके पर दिखाकर अवगत कराया तथा सम्बंधित पत्र प्रेषित किये गए फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण में निर्मित कराये गए सभी अंडर पासों में जलभराव की समस्या मुख्य रूप से सामने आयी क्योंकि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पानी निकासी हेतु कही भी हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण नहीं किया गया इसके साथ अंडर पासों के मध्य निर्मित नालियों के गलत तरीके से निर्माण कराये जाने एवं केमिकल न डाले जाने कारण अंडर पासों की दोनों ओर निर्मित दीवारों

से जल रिसाव एवं अंडर पास पर डीएफसीसीआईएल द्वारा निर्मित कराये गए टीन शेड छोटे निर्मित किये जाने के कारण भी बौछार का पानी भी जलभराव का मुख्य कारण प्रतीत हुआ तथा तीव्र मोड़ दिए जाने के कारण विगत में हुयी कई दुर्घटनायें प्रकाश में लायी गयी एवं कई अंडर पासों की दीवारों पर चिटकन एवं दरार भी दिखी जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर भी क्षेत्रीय लोगों द्वारा सवाल उठाये गए अंडर पासों के त्रुटिपूर्ण निर्माण के सम्बन्ध में मौके की स्थिति को वीडियों कॉलिंग के माध्यम से चेयरमैन डीएफसीसीएल को भी दिखाया गया इसके अतिरिक्त डीएफसीसीएल के अधिकारियों द्वारा भूमि अधिग्रहण में त्रुटिपूर्ण मुआवजे के कई प्रकरण प्रकाश में आये। जहाँ एक ओर कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अंडर पासों का त्रुटिपूर्ण निर्माण कराकर सरकारी धन का नुक्सान किया है वहीँ दूसरी ओर कई अंडर पास जिनका कोई प्रयोग न होने बावजूद सरकारी धन का दुरूपयोग कर निर्माण कराया गया है जर्जर सड़कों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंताओं द्वारा वर्तमान में प्रेषित किये गए पत्रों के माध्यम से जनपद कानपुर नगर क्षेत्र की 47 सड़कों एवं जनपद कानपुर देहात की 37 जर्जर सड़कों की सूची प्रेषित की गयी उक्त पत्रों पर मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग एवं उपजिलाधिकारियों द्वारा संस्तुति करते हुए सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में डीएफसीसीएल को पत्र प्रेषित किया है इसके अलावा क्षेत्र के सम्बंधित उपजिलाधिकारियों द्वारा प्रेषित अपनी आख्याओं के माध्यम से क्षेत्र की रेलवे सम्बन्धी कई समस्याओं से अवगत कराते हुए प्राप्त शिकायतों एवं कमियों का त्वरित निस्तारण कराये जाने के निर्देश एवं जाँच आख्याओं से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया है सम्बंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा मंत्रालय को भ्रामक सूचना एवं गलत तथ्यों से अवगत कराया गया है जिस पर मेरे द्वारा अध्यक्ष रेलवे बोर्ड को पुनः अवगत कराया है। अतः मैं माननीय मंत्री जी अनुरोध करना चाहता हूँ कि क्षेत्र की जर्जर सड़कों का निर्माण कराये जाने, त्रुटिपूर्ण निर्मित किये गए अंडर पासों की उच्च स्तरीय जाँच कराकर यथासंभव सुधार कराये जाने तथा क्षेत्रीय जनों की रेलवे सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं का निराकरण कराये जाने हेतु सम्बंधित को आवश्यक आदेश/निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।

(चौदह) केरल में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना के बारे में (अनुवाद)

डॉ. शशि थरूर (तिरुवनंतपुरम): मैं मुद्दे को बार-बार उठाए जाने के बावजूद केरल में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना में देरी की ओर माननीय स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। केरल में एम्स स्थापित करने की घोषणा केन्द्र सरकार द्वारा 2015 में की गई थी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक राज्य में एक एम्स स्थापित करने की सरकार की योजना है। पी.एम.एस.एस.वाई. के तहत 22 एम्स को स्वीकृति दी गई है लेकिन केरल इस सूची में शामिल नहीं है। वर्षों से बार-बार अनुरोध करने के बाद, जिसमें व्यक्तिगत रूप से कई हस्तक्षेप शामिल हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अप्रैल 2022 में केरल में ऐम्स स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। जनवरी 2023 में, राज्य सरकार ने केंद्र से परियोजना के लिए मंजूरी देने का भी आग्रह किया था। फिर भी, केंद्रीय बजट में प्रस्तावित एम्स के लिए कोई आवंटन नहीं है। राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में डॉक्टर अत्याधिक बोझ से दबे हुए हैं, और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा अपर्याप्त है। अपनी प्रमुख चिकित्सा सुविधाओं के साथ एक एम्स रोगियों के लिए अत्याधुनिक उपचार सुनिश्चित करते हुए राज्य के रोगियों के चिंताजनक भार को समान रूप से विपरित करेगा। इसलिए, राज्य में सामर्थ्यकारी स्थितियों को देखते हुए, मैं माननीय मंत्री जी से इस प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह करता हूँ ताकि राज्य के मरीज हमारे प्रमुख चिकित्सा संस्थान की चिकित्सा सुविधाओं का अविलंब लाभ उठा सकें।

(पंद्रह) ईरान में हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की रिहाई के बारे में

एडवोकेट अदूर प्रकाश (अटिंगल): मैं ईरान में हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की रिहाई के लिए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं। जून, 2023 में समुद्री सीमा के कथित उल्लंघन के लिए दस मछुआरों को ईरान में कैद कर लिया गया था। इन 10 मछुआरों में से पांच मेरे संसदीय क्षेत्र से हैं। ये मछुआरे (सात केरल के और तीन तमिलनाडु के मूल निवासी हैं) पिछले दस वर्षों के दौरान दुबई के अजमान इलाके में मछली पकड़ने का काम करते थे उन्हें समुद्री सीमा के उल्लंघन के लिए ईरानी तट रक्षकों द्वारा पकड़ा गया था और कैद कर लिया गया था। यह ज्ञात है कि ईरानी अधिकारियों ने हिरासत में लिए गए लोगों तक राजनयिक पहुंच की अनुमति नहीं दी है। मछुआरों के गरीब परिवार चिंतित हैं और उनकी रिहाई के लिए तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध कर रहे हैं। मैं सरकार से उनकी शीघ्र रिहाई और प्रत्यावर्तन के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूँ।

(सोलह) केरल में अंगमाली - सबरी रेलवे लाइन के निर्माण के बारे में

एडवोकेट डीन कुरियाकोस (इडुक्की): 11 किलोमीटर लंबी अंगमाली-सबरी रेल परियोजना, अंगमाली-एरुमेली-पठानमथिट्टा-पुणालूर-तिरुवनथपुरम समानांतर रेलवे लाइन का पहला चरण है। अंगमाली - एरुमेली रेलवे लाइन राष्ट्रीय तीर्थ केंद्र, सबरीमाला के साथ कई अन्य तीर्थ केंद्रों के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिसमें आदि शंकराचार्य का जन्म स्थान कलादी, सेंट अल्फोंसा का तीर्थ चर्च भारानंगनम, प्रसिद्ध ईसाई तीर्थ केंद्र और धार्मिक भाईचारे का केंद्र एरुमेली शामिल है। यह रेलवे लाइन केरल के 14 वाणिज्यिक और औद्योगिक केंद्रों को जोड़ेगी। साथ ही, इस महत्वाकांक्षी रेलवे लाइन परियोजना के माध्यम से इडुक्की जिले में रेलवे संपर्क होगा। इसका राज्य की तीर्थ पर्यटन क्षमता और केरल के एर्णाकुलम, मुदुक्की, कोट्टायम और पठानमथिट्टा जिलों के समग्र विकास पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। 25 साल पहले इस पर काम की मंजूरी मिली थी, और कुछ निर्माण शुरू हुआ था। परंतु यह रुका गया और परियोजना लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी थी। राज्य सरकार परियोजना लागत का 50% योगदान करने के लिए सहमत हो गई है। पिछले केंद्रीय बजट में 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। हालाँकि, प्रगति बहुत धीमी गति से हो रही है। मैं सरकार से तत्काल कदम उठाने का आग्रह करता हूँ ताकि केंद्रीय केरल और मुदुक्की और पठानमथिट्टा के जिलों की वास्तविक क्षमता उभर कर सामने आ सके।

(सत्रह) एमजीआर चेन्नई सेंट्रल से कोयम्बटूर तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का तमिलनाडु में जोलारपेट्टई में ठहराव दिए जाने के बारे में

श्री सी. एन. अन्नादुरई (तिरुवनमलाई): मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान तमिलनाडु में महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन "जोलारपेट्टई" (जिला मुख्यालय के करीब) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो न केवल एक बड़ा रेलवे जंक्शन है बल्कि एक ऐसी जगह है जहां से दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा, जोलारपेट्टई के पास एक हिल स्टेशन "येलागिरी" स्थित है जो पर्यटन का मुख्य आकर्षण है। जनता की भारी मांग है कि तमिलनाडु के जोलारपेट्टई में एमजीआर चेन्नई सेंट्रल से कोयंबटूर तक चलने वाली "वंदे भारत" एक्सप्रेस ट्रेन (20643/20644) का ठहराव दिये जाने की अनुमति दी जाए। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह जनता की मांग पर विचार करें जो उस क्षेत्र के लोगों के साथ-साथ भारत और विदेश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले पर्यटकों के लिए भी मददगार होगा।

(अठारह) मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी द्वारा किए गए कटाव के बारे में

श्री खलीलुर रहमान (जंगीपुर): मुर्शिदाबाद जिले से होकर बहने वाली प्रमुख नदी गंगा, वित्तीय और कृषि क्षेत्रों में प्रमुख भूमिका निभाती है। गंगा का कटाव मुर्शिदाबाद जिले के लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, विशेष रूप से ब्लॉक और फरक्का, रघुनाथगंज-द्वितीय, लालगोला ब्लॉक, सागरदिघी समसेरगंज ब्लॉक के लिए जो सबसे अधिक प्रभावित हैं। नदी के तट पर कई घरों, स्कूलों, मंदिरों, मस्जिदों और श्मशान घाटों का कोई निशान नहीं बचा है। अगस्त 2020 में, लगभग 50 वर्षों के बाद, इस क्षेत्र को कटाव का सामना करना पड़ा, जिससे घर, मंदिर, स्कूल, लीची और आम के बगीचे और दाहिने किनारे की कृषि भूमि बह गई। 2020-21 मुर्शिदाबाद जिला आपदा प्रबंधन योजना के अनुसार, समसेरगंज ब्लॉक के गांवों में 65,000 से अधिक घरों की पहचान बाढ़, जल जमाव और कटाव प्रवण के रूप में की गई है। मैं इन बेघर लोगों की ओर से पुरजोर मांग करता हूँ कि गंगा के कटाव को रोकने के लिए स्थायी उपाय करने हेतु संबंधित प्राधिकारी को सूचित किया जाए अन्यथा वे अपनी सारी सामान गवां बैठेंगें । इसके साथ ही, मैं उन लोगों की मदद करने की अपील करता हूँ जिन्होंने अपनी आजीविका खो दी है। कटाव के कारण अपना घर खोने वाले लोगों को पुनर्वास की आवश्यकता है। फरक्का बैराज परियोजना में बहुत सी खाली भूमि हैं। उन खाली जमीनों पर उन परिवारों के पुनर्वास के लिए विचार किया जा सकता है जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं।

(उन्नीस) आंध्र प्रदेश में प्रधान मंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और ऐपरल पार्क की स्थापना के बारे में

श्री रघु राम कृष्ण राजू (नरसापुरम): मैं सरकार का ध्यान देश में 20 लाख नौकरियां पैदा करने के साथ-साथ देश में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने के एक हिस्से के रूप में 20 प्रधान मंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और ऐपरल पार्क स्थापित करने के हाल ही में कार्यान्वित किए गए निर्णय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यद्यपि मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के निर्णय से प्रसन्न हूँ, पर इस निर्णय से मैं दुखी हूँ कि आन्ध्र प्रदेश को ऐसे ऐपरल पार्कों की स्थापना के लिए राज्यों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। आंध्र प्रदेश उन राज्यों में से एक है, जिसने कपड़ा उद्योग को उत्तर आंध्र के उप्पादा और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्रों के धर्मावरम में स्थानीयकृत किया है, जो राज्य में बड़े कपड़ा केंद्रों के रूप में जाना जाता है। कपड़ा उद्योग हमेशा ही राज्य के महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक रहा है। बड़ी संख्या में कपड़ा श्रमिकों की ऐतिहासिक प्रसिद्धि और नाम और राज्य में ऐसे पार्कों की स्थापना की उनकी निरंतर मांग को ध्यान में रखते हुए, मैं भारत सरकार से प्रधानमंत्री मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की सूची में आंध्र प्रदेश को शामिल करने पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। ऐसा होने पर हम आंध्र प्रदेश के लोग ऋणी रहेंगे।

(बीस) बुलढाणा संसदीय क्षेत्र में भारी बारिश के कारण संपत्ति और फसलों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

(हिन्दी)

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): जैसा कि सभी को ज्ञात है कि देश भर में इन दिनों भारी बरसात और प्राकृतिक आपदाओं के कारण जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। कुछ जगहों पर तो ऐसा भयंकर मंजर दिखाई दिया कि आंखे नम हो जाती है और अनायास ही प्रभु का नाम जुबान पर आ जाता है। इसी तरह मेरे संसदीय क्षेत्र बुलढाणा में भी बरसात के कारण काफी भयावह स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जिसको शब्दों में बयान करना बहुत ही कठिन है। मेरे क्षेत्र के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। आपको अवगत कराना चाहता हूं कि दिनांक 18 जुलाई से 20 जुलाई, 2023 तक मेरे बुलढाणा क्षेत्र के मलकापुर, शेगांव, जलगांव, नांदुरा, जलगांव जामोद, संग्रामपुर जिलों में बारिश ने भंयकर तबाही मचाई है। इन क्षेत्रों में कापूस, सोयाबीन, मक्का, तूर, मूंग, उड़द, केला, संतरा, सब्जियां इत्यादि की फसलें तैयार की जाती हैं, जो कि बरसात के कारण पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। उल्लेखनीय है कि बरसात का पानी सतपुड़ा के पर्वतों से बहकर इन क्षेत्रों में प्रवेश कर गया जिससे यह क्षेत्र पूरा पानी-पानी हो गया। इसी कारण लगभग 152413 हैक्टेयर भूमि पर फसलें नष्ट हो गई हैं और लगभग 12264.00 हैक्टेयर भूमि पूरी तरह से बरसात के पानी में बह चुकी हैं। कुल मिलाकर 164,677.00 हैक्टेयर भूमि पर बरसात का कहर टूटा है। इस आपदा में लोंगों के घर, पशु एवं अन्य जरूरत की चीजें भी बरसात के पानी में बह चुकी हैं। लोग बेघर हो चुके हैं। मेरे क्षेत्र के लोगों का जीवन-यापन करना मुश्किल हो गया है। यहां पर यह बताना भी आवश्यक हो जाता है कि प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासी बहुल जनसंख्या भी है, जो कि आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं। कई गांवों का संपर्क भी टूट चुका है। रास्तों की हालत बेहद ही जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, जिससे यहां के लोग कठिन जीवन जीने पर मजबूर हो गये हैं। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र बुलढाणा के जिलों में भयंकर बरसात के पानी के कारण हुए फसलों, जमीन एवं घरों तथा पशुओं के नुकसान की भरपाई के रूप में केन्द्र सरकार एक विशेष पैकेज के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करे ताकि मेरे क्षेत्र के प्रभावित लोग पुन: अपना जीवन शुरू कर सकें।

(इक्कीस) कोशी-मेची लिंक परियोजना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता।

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी (कटिहार): कोसी-मेची लिंक परियोजना बिहार राज्य में कोसी के तीन जिलों मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और सीमांचल के चार जिलों में करीब एक लाख से अधिक हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा मिलेगी और बाढ़ से भी निजात मिलेगी। इसमें हमारा संसदीय क्षेत्र कटिहार सहित पूर्णिया, किशनगंज और अररिया चार जिले शामिल है। इस परियोजना से कटिहार जिले में लगभग 35 हजार हेक्टेयर जमीन की सिंचाई और बाढ़ से भी निजात मिलेगी। जिसमें कटिहार जिले के अन्तर्गत कदवा, डंडखोरा, प्रानपुर, मनिहारी, बरारी, कुर्सेला एवं अहमदाबाद प्रखंड लाभान्वित होगा। इस संबंध में पिछले वित्तीय वर्ष में कोसी-मेची लिंक परियोजना के बारे में मामला आपके समक्ष प्रस्तुत भी किया था। केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करते हुए, बिहार राज्य सरकार का कोसी-मेची लिंक परियोजना के लिए मध्य प्रदेश की केन-बेतवा लिंक परियोजना की तर्ज पर केंद्रांश 90 फीसदी और राज्यांश 10 फीसदी बजटीय प्रावधान किया जाए। मैं माननीय जल शक्ति मंत्री जी से माँग करता हूँ कि कोसी-मेची लिंक परियोजना बिहार राज्य में कोसी के तीन जिलों और सीमांचल के कटिहार सहित चार जिलों में इस परियोजना में तेजी लाई जाय, साथ ही मध्य प्रदेश की केन-बेतवा लिंक परियोजना की तर्ज पर केंद्रांश 90 फीसदी और राज्यांश 10 फीसदी बजटीय प्रावधान को भी लागू किया जाए।

(बाईस) ओडिशा के ई.पी.एस. 95 पेंशनभोगियों की पेंशन में वृद्धि के बारे में (अनुवाद)

श्रीमती मंजुलता मंडल (भद्रक): मैं मूल्य सूचकांक को बेअसर करने के लिए ओडिशा के दो लाख EPS95 पेंशनभोगियों के बीच अभाव, हताशा और असंतोष की गहरी भावना के संबंध में माननीय वित्त मंत्री और माननीय श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, जिन्हें बिना डी.ए के *500/ से 3500/- प्रति माह के बीच पेंशन मिल रही है। उनमें से आधे लोगों को सितंबर 2014 से पेंशन के रूप में 1000/- से भी कम मिल रहा है जिसके कारण जीवित रहने के लिए उचित भोजन और दवा के अभाव में उनका समय अनिश्चितताओं से भरा है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगी कि कृपया ओडिशा के दो लाख ईपीएस-95 पेंशनभोगियों की दुर्दशा पर विचार करें ताकि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर प्रति माह 9000/- प्लस डी.ए किया जा सके ताकि संबंधित परिवारों को जीवित रहने के लिए अपनी वृद्धावस्था में भोजन और दवाओं के लिए न्यूनतम सहायता मिल सके।

(तेईस) पलामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना को निधियां और राष्ट्रीय दर्जा दिए जाने के बारे में

श्री बी. बी. पाटिल (जहीराबाद): मैं तेलंगाना राज्य की सिंचाई परियोजनाओं, विशेष रूप से पलामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है और इसका शीघ्र समाधान किए जाने की मांग करता हूँ। पी.आर.एल.आई.एस परियोजना नगरकुरनूल, महबूबनगर, विकाराबाद, नारायनपेट, रंगारेड्डी और नलगोंडा जिलों के सूखाप्रवण क्षेत्रों के लिए आशा की एक किरण है। इसका उद्देश्य 12.5 लाख एकड़ भूमि से अधिक के लिए पानी उपलब्ध कराना और कई गांवों, हैदराबाद और उद्योगों की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस परियोजना में जीवन को बदलने और पानी की कमी के कारण होने वाले संघर्षों को कम करने की क्षमता है, लेकिन भारत सरकार बिना किसी सहायता या धन के तेलंगाना की सिंचाई परियोजनाओं की पूरी तरह से उपेक्षा कर रही है। अनुमति देने में बाधाएं पैदा की जा रही हैं और परियोजनाओं को राष्ट्रीय दर्जा देने से भी इनकार किया जा रहा है। इस बीच, अन्य राज्यों में परियोजनाएं को वित्तपोषण, अनुमति के साथ-साथ राष्ट्रीय दर्जा भी दिये जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि यह कितना उचित है कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक में ऊपरी भद्रा सिंचाई परियोजना को आसानी से राष्ट्रीय दर्जा देते हुए पी.आर.एल.आई.एस को राष्ट्रीय दर्जा देने से इनकार कर दिया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह पी.आर.एल.आई.एस को आवश्यक धनराशि और राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करे जो तेलंगाना की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है।

(चौबीस) दरभंगा में अशोक पेपर मिल को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता।

(हिन्दी)

श्री प्रिंस राज (समस्तीपुर): हमारे संसदीय क्षेत्र समस्तीपुर (बिहार) के अंतर्गत दरभंगा जिले के हायाघाट विधानसभा के रामेश्वरनगर में स्थित लगभग 400 एकड़ प्रमुख भूमि में फैले हुए अशोक पेपर मिल की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसकी स्थापना दरभंगा राज द्वारा 1958 में की गई थी और यह उत्तर बिहार का एकमात्र प्रमुख औद्योगिक उद्यम था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1982 में वित्तीय स्थिति बिगड़ने के कारण इसे बंद कर दिया गया था। 1996 में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद केंद्र ने इस मिल को पुनर्जीवित करने के लिए इसका निजीकरण कर दिया था। स्थानीय लोगों के अनुसार यह मिल 2003 से व्यावसायिक उत्पादन नहीं कर रही है एवं वर्तमान में यह बंद पड़ी हुई है। इस क्षेत्र के हजारों परिवारों को अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं सरकार से विनती करता हूँ कि केंद्र सरकार अशोक पेपर मिल, दरभंगा को पुनर्जीवित करने पर पुनः विचार करे अन्यथा इस मिल की भूमि पर नया उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव लाए ताकि स्थानीय लोगों रोजगार का अवसर मिल सके एवं उनका सर्वांगीण विकास हो पाए।

(पच्चीस) गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध को हटाने की आवश्यकता।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मैं सरकार का ध्यान हाल ही में हुए गैर-बासमती चावल के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। इस प्रतिबंध के कारण कालानमक चावल के निर्यात पर रोक लग गई है। कालानमक चावल उत्तर-पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के लगभग 20 जिलों में उगाया जाता है। चावल की यह किस्म अपनी इतिहास छटी शताब्दी ईसा पूर्व से तराशती है; इसे भगवान बुद्ध द्वारा श्रावस्ती के लोगों के लिए एक उपहार माना जाता है, जब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद इस क्षेत्र का दौरा किया था। हाल मे इसे उत्तर प्रदेश के "एक जिला, एक उत्पाद" स्कीम के अंतर्गत मेरे लोक सभा क्षेत्र सिद्धार्थनगर के उत्पाद के रूप में शामिल किया गया है। यह प्रतिबंध ऐसे समय में लगाया गया है जब कालानमक चावल उत्पादन में पिछले 3 साल में तीन गुना वृद्धि देखी गई है। यूपी सरकार के आंकड़े बताते हैं कि इस चावल कि अंतर्राष्ट्रीय मांग 2019-20 में 2 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में कुल उत्पादन का लगभग 7 प्रतिशत हो गई है। अतः मैं सरकार को गैर बासमती चावलों के निर्यात पर लगाए गए रोक को समाप्त करने की आग्रह करता हूं।

(छब्बीस) पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार में रेल सेवाओं के बारे में

(अनुवाद)

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): 40 से अधिक ट्रेनों में जो ज्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में संचालित होती हैं, स्लीपर और सामान्य कोचों को घटाकर ए.सी कोच लगाए जा रहे। लंबी दूरी की ट्रेनों में 22 कोचों में से 7 की जगह केवल 2 स्लीपर कोच लगाए जा रहे हैं और 3अतिरिक्त ए.सी. कोच लगाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक ट्रेन में न्यूनतम 300 से 400 यात्रियों को स्लीपर/जनरल कोच के बजाय ए.सी. कोच में यात्रा करने का विकल्प चुनना होगा। पहले की तुलना में यात्रियों को यात्रा के लिए दोगुना से ज्यादा खर्च करना होगा। 3ए.सी ऑनलाइन टिकट की कीमत सामान्य टिकट से 500 से 600 रुपये अधिक है। रेलवे पहले ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए मार्च 2020 से रियायत वापस ले चुका है। गरीब, किसान, छात्र, मजदूर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। साधारण जनता के लिए ट्रेन यात्रा का सबसे आम साधन है। रेलगाड़ियां आम आदमी के लिए जीवनरेखा हैं। अधिक ट्रेनों के ठहराव और अधिक ट्रेनों के परिचालन की मांग हो रही है, उधर सरकार यात्रा को महंगा कर रही है। सरकार का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य है और उसे केवल लाभ के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि स्लीपर/सामान्य कोचों को कम नहीं किया जाना चाहिए। भले ही उनके स्थान पर ए.सी. कोच लगाने पड़ें, लेकिन किराया नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। विशेष रूप से स्लीपर और 3ए,सी कोचों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायत को बहाल किया जाए।

———————

(हिन्दी)

माननीय सभापति : आइटम नंबर – 18, श्री पंकज चौधरी जी।

(अनुवाद)

<u>अपराह्न 2.08 बजे</u>

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम ,1975 की पहली अनुसूची में संशोधन के लिए अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

(हिन्दी)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापति महोदय, मैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं:

"कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8क(1) के अनुसरण में, यह सभा दिनांक 30 जून, 2023 की अधिसूचना संख्या 40/2023-सीमा शुल्क [सा.का.नि.469 (अ) दिनांक 30 जून, 2023] और दिनांक 1 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 43/2023-सीमा शुल्क [सा.का.नि.473 (अ) दिनांक 1 जुलाई, 2023] का एतदद्वारा अनुमोदन करती है, जिनका आशय तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), प्रापेन और ब्यूटेन पर आयात शुल्क में वृद्धि करने के लिए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन करना है।"

माननीय सभापति : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8क(1) के अनुसरण में, यह सभा दिनांक 30 जून, 2023 की अधिसूचना संख्या 40/2023-सीमा शुल्क [सा.का.नि.469 (**अ)** दिनांक 30 जून, 2023] और दिनांक 1 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 43/2023-सीमा शुल्क [सा.का.नि.473 (अ) दिनांक 1 जुलाई, 2023] का एतदद्वारा अनुमोदन करती है, जिनका आशय तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), प्रापेन और ब्यूटेन पर आयात शुल्क में वृद्धि करने के लिए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन करना है।"

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री मनीष तिवारी जी।

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): माननीय सभापति जी, जब अविश्वास प्रस्ताव इस पटल पर रखा गया हो, तब यह स्टेचुटरी रेज़ोल्यूशन इल्लिगल है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8क(1) के अनुसरण में, यह सभा दिनांक 30 जून, 2023 की अधिसूचना संख्या 40/2023-सीमा शुल्क [सा.का.नि.469 (अ) दिनांक 30 जून, 2023] और दिनांक 1 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 43/2023-सीमा शुल्क [सा.का.नि.473 (अ) दिनांक 1 जुलाई, 2023] का एतदद्वारा अनुमोदन करती है, जिनका आशय तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), प्रापेन और ब्यूटेन पर आयात शुल्क में वृद्धि करने के लिए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन करना है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———————

माननीय सभापति : आइटम नंबर – 19, श्री अर्जुन मुंडा जी।

(अनुवाद)

अपराह्न 2.10 बजे

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (पांचवा संशोधन) विधेयक, 2022
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन

(हिन्दी)

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): महोदय, मैं प्रस्ताव*** करता हूं:

"कि छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक††† में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किए जाए " :-

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, "तिहत्तरवें" शब्द ***के स्थान पर*** "चौहत्तरवें" शब्द ***प्रतिस्थापित*** किया जाए।

खंड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में, शब्द, कोष्ठक और अंक "(पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2022" ***के स्थान पर*** शब्द, कोष्ठक और अंक "(संशोधन) अधिनियम, 2023" ***प्रतिस्थापित*** किए जाएं।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किए जाए।"

***राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

†††@ बिल लोक सभा द्वारा 21 दिसंबर, 2022 को पारित किया गया था, और इसकी सहमति के लिए राज्य सभा को प्रेषित किया गया था। राज्य सभा ने 25 जुलाई, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में संशोधन के साथ विधेयक पारित किया और उसी दिन इसे लोक सभा को लौटा दिया।

<u>अधिनियमन सूत्र</u>

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, "तिहत्तरवें" शब्द ***<u>के स्थान पर</u>*** "चौहत्तरवें" शब्द ***<u>प्रतिस्थापित</u>*** किया जाए।

<u>खंड 1</u>

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में, शब्द, कोष्ठक और अंक "(पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2022" ***<u>के स्थान पर</u>*** शब्द, कोष्ठक और अंक "(संशोधन) अधिनियम, 2023" ***<u>प्रतिस्थापित</u>*** किए जाएं।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब हम राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करेंगे। अब मैं राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों संख्या 1 और 2 को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

<u>"अधिनियमन सूत्र</u>

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, "तिहत्तरवें" शब्द ***<u>के स्थान पर</u>*** "चौहत्तरवें" शब्द ***<u>प्रतिस्थापित</u>*** किया जाए।

<u>खंड 1</u>

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में, शब्द, कोष्ठक और अंक "(पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2022" ***<u>के स्थान पर</u>*** शब्द, कोष्ठक और अंक "(संशोधन) अधिनियम, 2023" ***<u>प्रतिस्थापित</u>*** किए जाएं।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय सभापति : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि लोक सभा द्वारा यथा पारित, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022 में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर यह सभा सहमत है।

श्री अर्जुन मुंडा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सभा सहमत है।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सभा सहमत है।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नंबर – 20, श्री अर्जुन मुंडा जी।

अपराह्न 2.13 बजे

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): महोदय, मैं प्रस्ताव‡‡‡* करता हूं:

"कि हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित करने का उपबंध करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक§§§@ में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए " :-

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, "तिहत्तरवें" शब्द ***के स्थान पर*** "चौहत्तरवें" शब्द ***प्रतिस्थापित*** किया जाए।

खंड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में, शब्द, कोष्ठक और अंक "(तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2022" ***के स्थान पर*** शब्द, कोष्ठक और अंक "(दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023" ***प्रतिस्थापित*** किए जाएं।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित करने का उपबंध करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।"

---

‡‡‡*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

§§§@ बिल लोक सभा द्वारा 16 दिसंबर, 2022 को पारित किया गया था, और इसकी सहमति के लिए राज्य सभा को प्रेषित किया गया था। राज्य सभा ने 26 जुलाई, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में संशोधन के साथ विधेयक पारित किया और उसी दिन इसे लोक सभा को लौटा दिया।

<u>अधिनियमन सूत्र</u>

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, “तिहत्तरवें” शब्द ***<u>के स्थान पर</u>*** “चौहत्तरवें” शब्द ***<u>प्रतिस्थापित</u>*** किया जाए।

<u>खंड 1</u>

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में, शब्द, कोष्ठक और अंक “(तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2022” ***<u>के स्थान पर</u>*** शब्द, कोष्ठक और अंक “(दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023” ***<u>प्रतिस्थापित</u>*** किए जाएं।“

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब हम राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करेंगे। अब मैं राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों संख्या 1 और 2 को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

<u>"अधिनियमन सूत्र</u>

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, “तिहत्तरवें” शब्द ***<u>के स्थान पर</u>*** “चौहत्तरवें” शब्द ***<u>प्रतिस्थापित</u>*** किया जाए।

<u>खंड 1</u>

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में, शब्द, कोष्ठक और अंक “(तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2022” ***<u>के स्थान पर</u>*** शब्द, कोष्ठक और अंक “(दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023” ***<u>प्रतिस्थापित</u>*** किए जाएं।”

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

माननीय सभापति : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि लोक सभा द्वारा यथा पारित, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022 में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर यह सभा सहमत है।

श्री अर्जुन मुंडा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सभा सहमत है।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सभा सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

(अनुवाद)

<u>अपराह्न 2.15 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र- जारी

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. भागवत कराड़): महोदय, मैं सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9819/17/23]

———————

… (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 2.16 बजे</u>

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य . . . जारी

(दो) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों (2023-2024) के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 43वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति***

संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): महोदय, श्री राजीव चन्द्रशेखर की ओर से, मैं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों (2023-2024) के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 43वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

———

… (*व्यवधान*)

(हिन्दी)

माननीय सभापति : चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2023, माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

***** *सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9748/17/23.

अपराह्न 2.17 बजे

चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2023††††*
राज्य सभा द्वारा यथा पारित

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर): सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि चलचित्र अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधयेक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं कि भारत की फिल्म इंडस्ट्री 110 साल पुरानी है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री केवल 110 साल पुरानी ही नहीं है बल्कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा फिल्में बनाने का गौरव किसी देश को प्राप्त है तो वह भारत है।... (व्यवधान) भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं। उस फिल्म इंडस्ट्री के हित के लिए हम इस बिल को लेकर आए हैं। ... (व्यवधान)

सभापति जी, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करता हूं तो केवल इस बिल में हीरो और हीरोइन के हितों तक बात सीमित नहीं है। ... (व्यवधान) इसमें चाहे वह स्पॉट बाय हो, मेक-अप आर्टिस्ट हो, कोरियाग्राफर हो, जूनियर आर्टिस्ट हो या डांसर हो, पूरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े लाखों लोगों के हित में हम बिल लेकर आए हैं। ... (व्यवधान) देश की अर्थव्यवस्था और देश की साफ्ट पॉवर के साथ जुड़े इस विषय को लेकर यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है। आप सभी लोग उन कलाकारों को देखने के लिए सिनेमा में जाते होंगे, टीवी पर भी देखते होंगे, लेकिन जब उनके हितों की बात इस सदन में होने जा रही है तो सिनेमा जगत के खिलाफ आज यहां पर ये आवाज उठा रहे हैं न कि इसमें मदद करने के लिए आवाज उठा रहे हैं। ... (व्यवधान)

वर्ष 1952 में पहली बार इस पर कानून बना था । वर्ष 1952 के बाद इसमें बड़े संशोधन नहीं हुए। आज से 40 साल पहले एक बार बड़ा संशोधन हुआ । पाइरेसी की समस्या ने इस देश में एक बहुत बड़ी

---

††††*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-2 दिनांक 31.07.2023 में प्रकाशित।

चिंता खड़ी की है। देश और दुनिया के सामने बहुत बड़ी चिंता है। ... (व्यवधान) फिल्म इंडस्ट्री वर्षों से मांग कर रही थी कि पाइरेसी की समस्या से मुक्ति मिले और सरकार बिल में संशोधन करे। ... (व्यवधान)

मुझे इस बात का गर्व होता है कि एनडीए की नरेन्द्र मोदी जी की सरकार फिल्म वालों के हित के लिए और देश के हित के लिए आज इस बिल में बहुत बड़ा संशोधन करने के लिए इसे सदन में लाई है। ... (व्यवधान) चल चित्र संशोधन बिल सिनेमोटोग्राफ अमेंडमेंट बिल, 2023 में अगर आप देखें तो वर्ष 2019 में जब हम सिनेमोटोग्राफ अमेंडमेंट बिल लाए थे तब इसे स्टैन्डिंग कमेटी में भेजा गया था। स्टैन्डिंग कमेटी में काफी लंबे समय तक चर्चा हुई। वर्ष 2020 में स्टैन्डिंग कमेटी ने इसे वापस अपने सुझाव देकर भेजा। स्टैन्डिंग कमेटी के सुझावों के बाद 16 मार्च, 2020 में हम फिल्म इंडस्ट्री और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ वाइडर कन्सलटेंशन करके इस बिल को लेकर आए हैं। ... (व्यवधान) जिनमें कुछ प्रमुख हिस्सों पर आज मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा, उसके बाद सभी सदस्यों की बातें सुनने के बाद विस्तार से इसकी चर्चा करूंगा।

16 मार्च, 2020 को स्टैन्डिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। ... (व्यवधान) पहले फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए जो अनुमति मिलती थी, उसमें दस साल के लिए आपको लाइसेंस मिलता था। दस साल के बाद वे फिर आते थे। ... (व्यवधान) आपने फिल्म बनाई, कन्टेंट आपका है। लेकिन इनकी सरकारों के समय उनको बार-बार चक्कर काटने पड़ते थे।

हमने कहा है कि अब आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हम इस बिल के माध्यम से उनको सतत् लाइसेंस देने का काम करने वाले हैं।...(व्यवधान)

महोदय, अगर मैं बात करूं, तो पिछले 40 वर्षों में टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले कैमकॉर्डर लैकर बैठते थे, उसके माध्यम से रिकॉर्डिंग का काम होता था, लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया है। नए-नए कैमराज़ आ गए हैं, फोन में कैमरा आ गया है। पाइरेसी एक ऐसी दीमक है, जो फिल्म इंडस्ट्री को जड़ से खत्म करने का काम कर रही है।...(व्यवधान) पाइरेसी एक ऐसी समस्या है, अलग-अलग रिपोर्ट्स में कहा गया है कि देश को सालाना 20,000 से लेकर 22,000 करोड़ रुपये तक का नुकसान होता है। देश को तो नुकसान होता है, उसके साथ-साथ फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकारों और उससे जुड़े हुए सभी लोगों का नुकसान होता है।...(व्यवधान) जब आप यह बिल पास कर देंगे...(व्यवधान), आज यह होने वाला

है कि हम उनको हक दिलाएंगे, जो अपनी फिल्मों के माध्यम से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करते हैं। हम आज उनको हक दिलाने का काम करने वाले हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति जी, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। जब पाइरेसी की बात आती है, तो बेचारे बड़ी मेहनत और मजदूरी के साथ अपना खून-पसीना बहाकर फिल्म तो बना देते हैं, अगर कोई एक मिनट की वीडियो क्लिप बनाता है और उसको किसी अन्य थिएटर में ऑनलाइन एग्जिबिट नहीं करता है, तो हमने उसको दंड देने का प्रावधान नहीं किया है। वह पर्सनल यूज के लिए करता है।...(व्यवधान) अगर कोई रिकॉर्डिंग करके उसको इल्लीगली एग्जिबिट करने का काम करता है, तो इसमें जेल का प्रावधान भी रखा गया है। तीन साल तक की सजा भी है, 3,00,000 रुपये तक का फाइन भी है और फिल्म की जो लागत है, उसका 5 प्रतिशत भी सजा के तौर पर दिया जा सकता है।...(व्यवधान) अगर किसी फिल्म को बनाने में 1,000 करोड़ रुपये लगे हैं, तो उसका 5 प्रतिशत यानी 50 करोड़ रुपये तक दंड के रूप में देने पड़ेंगे। हमने इस कानून को इसलिए भी थोड़ा कठोर बनाया है, ताकि कलाकारों और कला से जुड़े हुए व्यक्तियों को न्याय मिल सके।...(व्यवधान)

माननीय सभापति जी, इसकी जो डेफिनेशन है, पहले केवल 'यू/ए' या 'एस' या 'ए' एडल्ट का सर्टिफिकेट मिलता था। जैसे हमने ओटीटी प्लेटफार्म्स पर अलग-अलग एज का क्राइटेरिया रखा है। इसमें भी जागरुकता के लिए रखा है।...(व्यवधान) मां-बाप को पता हो कि अगर 'यू/ए' 7 प्लस है, तो इसका मतलब है कि अगर 6 साल का बच्चा जाएगा, तो वह मां-बाप की सहमति से जाएगा। अगर 'यू/ए' 13 प्लस है, तो 12 साल का जो बच्चा जाएगा, वह अपने मां-बाप या अभिभावक के कहने पर जाएगा। हमने इसको थोड़ा लिबरल भी बनाया है और थोड़ा जागरुक करने की दृष्टि से भी बनाया है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति जी, पहले जब फिल्में बनती थीं, तब क्या होता था? अगर किसी फिल्म को 'ए' या 'एस' सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो वह टीवी पर नहीं दिखाई जाती थी।...(व्यवधान) हमने इसमें प्रावधान किया है कि अगर फिल्म में कोई छोटा अमेंडमेंट करता है और वह उस कैटेगरी में यानी 'यू/ए' 7 प्लस, 'यू/ए' 13 प्लस और 'यू/ए' 16 प्लस में आएगी, तो अब वे टेलीविजन पर भी अपनी फिल्में दिखा

पाएंगे।...(व्यवधान) अगर किसी गरीब व्यक्ति के पास सिनेमा देखने का पैसा नहीं है, तो उसको टीवी पर सब कुछ देखने का अवसर मिलेगा। हमने इसमें यह भी प्रावधान कर दिया है।...(व्यवधान)

महोदय, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं बोलना चाहता हूं। मैं सदन के सदस्यों से सुनना चाहता हूं। राज्य सभा में भी सबने इस बिल को आम सहमति के साथ पास किया है, सबने देश के हित में काम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोक सभा के सभी माननीय सदस्य अपने बहुमूल्य विचार भी देंगे और भारत की सॉफ्ट पॉवर को मजबूत करेंगे ।...(व्यवधान) जैसे 'आरआरआर' ने ऑस्कर अवार्ड जीता है, 'द एलिफेंट व्हिस्पर्स' ने डाक्यूमेन्ट्री में अवार्ड जीता है। भविष्य में भी भारत की फिल्में ऑस्कर और बाफ्टा जैसे अवार्ड्स जीतें, उस दिशा में ये कदम उठाए गए हैं, ताकि उनको और बल मिल सके और उनको फायदा हो। अब मैं चाहूंगा कि बाकी सदस्य भी अपनी-अपनी बात रखें।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि चलचित्र अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधयेक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए ।"

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली) : माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी और सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। वह एक ऐसा बिल लेकर आए हैं, जिससे न सिर्फ सिनेमा का उद्धार होगा, बल्कि सिनेमा बनाने वालों का भी उद्धार होगा ।... (व्यवधान)

सभापति जी, हमारे देश में कलाकारों की बड़ी इज्जत है और उनको बहुत प्यार मिलता है। मैं खुद भी कला के जरिए यहां तक पहुंचा हूं और अब हम कुछ सेवा उनको वापस दे रहे हैं। आज जब यहां मंत्री जी यह बिल लेकर आए हैं, तो इस देश के सिनेमा, कलाकारों और प्रोड्यूसर्स की सबसे बड़ी समस्या पाइरेसी है। ... (व्यवधान) लोग फिल्म बनाते हैं, पैसे लगाते हैं और एक झटके में कोई आता है, उनका वीडियो बनाता है, पाइरेसी करता है और उनकी सारी कमाई जीरो हो जाती है। हमारे देश में ऐसे सिनेमा बनाने वालों को 20 हजार करोड़ रुपये का हर साल नुकसान होता है। ... (व्यवधान) इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस बिल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जिससे पाइरेसी को रोक पाएंगे। मैं समझता हूं

कि यूएस 7, यूए 13, यूए 16 प्लस के लिए भी सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा होनी चाहिए, तारीफ होनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से भी उनकी बहुत तारीफ करता हूं। … (व्यवधान)

सभापति जी, एक सबसे बड़ी चिंता की बात है कि आजकल फिल्मों के बाद ओटीटी बनने लगा है। ओटीटी अच्छा काम कर रहा है। इससे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उनको रोजगार मिल रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि हर सीन में सिगरेट पीना, धुआं उड़ाना, टोबैको खाना जैसे फैशन हो गया है। … (व्यवधान) मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं और आप जानिए कि न कलाकर ऐसा चाहता है, न प्रोड्यूसर ऐसा चाहता है और न डायरेक्टर ऐसा चाहता है तो फिर यह चाहता कौन है? आज कई ऐसी शक्तियां हैं, हमारे देश में 13.5 लाख लोगों की हर साल मौत होती है, जो उनकी चिंता नहीं करती हैं। लेकिन अब सरकार ने चिंता की है, उसके लिए हम अपनी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका बहुत-बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : मनोज जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

… (व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी : सभापति महोदय, मैं अंतिम बात कहने जा रहा हूं। इसके कारण पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, हेल्थ के एक्सपर्ट तारीफ कर रहे हैं, दुनिया में डब्ल्यूएचओ सरकार की तारीफ कर रहा है। … (व्यवधान) मैं नरेन्द्र मोदी जी की सरकार, हमारे मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, इससे कलाकारों, डायरेक्टर्स सबको जो फायदा होने वाला है, उसके मैं सबका समर्थन करता हूं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। आपने बोलने के लिए मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : गुरूमूर्ति जी, आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

… (व्यवधान)

(अनुवाद)

श्री मद्दीला गुरुमूर्ति (तिरुपति): माननीय. सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बोलने का मौका दिया। (*व्यवधान*)

2022 में लगभग 172 बिलियन रुपये की कमाई के साथ, हमारा सिनेमा देश के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान देता है। चल चित्र के निर्माण, हस्तांतरण और प्रदर्शन पर कर सरकार के लिए आय का एक बड़ा स्रोत हैं . . . (*व्यवधान*) हालांकि, डिजिटल चोरी के कारण इस उद्योग को हर साल 22,000 करोड़ रुपये का भारी नुकसान होता है। इस संबंध में, देश में फिल्म उद्योग के विनियमन और प्रदर्शन और फिल्मों की प्रमाणन प्रक्रिया के उद्देश्य से कानून बनाना आवश्यक हो जाता है... (*व्यवधान*)

यह विधेयक फिल्म उद्योग को नियंत्रित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि फिल्मों का निर्माण, मंजूरी और स्क्रीनिंग इस तरह से की जाए जिससे सामाजिक मानदंडों का पालन हो, शांति बनी रहे और फिल्म निर्माताओं और दर्शकों दोनों के हितों का ध्यान रखा जा सके ... (*व्यवधान*)

वर्तमान में, महोदय, पाइरेसी ने भारतीय फिल्म उद्योग को परेशान कर रखा है जिसके तत्काल समाधान की आवश्यकता है... (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, कृपया अब समाप्त करें।

… (*व्यवधान*)

श्री मद्दीला गुरुमूर्ति: महोदय, प्राचीन काल से, सिनेमा का मजबूत सांस्कृतिक प्रभाव रहा है; और हाल ही में, जैसा कि कोरियाई पॉप संस्कृति की बढ़ते चलन के कारण कोरिया में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिला है। केंद्र सरकार को भी ऐसे लुभावनी बातों की तलाश करनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

(हिन्दी)

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बोलने का अवसर दिया। ... (व्यवधान) अभी जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में सिनेमा की स्थिति है, तो आज हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत पिछड़े जनपद हैं, जैसे उनमें लोक सभा क्षेत्र श्रावस्ती है। मैं इस मौके पर माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि चलचित्र सिनेमा के बारे में पिछड़े जनपदों में भी ध्यान देने की जरूरत है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।... (व्यवधान)

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक): सभापति महोदय, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी शिव सेना की तरफ से सिनेमैटोग्राफ (अमेंडमेंट) बिल, 2023 का समर्थन करता हूं।...(व्यवधान) वर्ष 1952 का अधिनियम केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी को फिल्मों में कटौती करने और उन्हें सिनेमाघरों और टेलीविजन पर प्रदर्शन के लिए मंजूरी देने और फिल्म के प्रदर्शन से इनकार करने के लिए अधिकृत करता है।...(व्यवधान) वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते इस कानून में संशोधन बहुत जरूरी था। इसीलिए यह संशोधन बिल संसद में लाया गया है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, विभिन्न कार्यकारी आदेशों, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों और कॉपीराइट अधिनियम, 1957 और आईटी अधिनियम, 2000 जैसे अन्य कानूनों के साथ इस कानून का सामंजस्य स्थापित करना बहुत जरूरी था।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, सीबीएफसी द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया में सुधार करना और प्रमाणन के लिए वर्गीकरण के दायरे का विस्तार करना इस विधेयक का मुख्य कार्य है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, पायरेसी के खतरे को रोकने के लिए फिल्म उद्योग की फिल्मों के अनधिकृत प्रदर्शन और रिकॉर्डिंग के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारी मांग थी, क्योंकि उन्हें सालाना भारी नुकसान हो रहा था।...(व्यवधान) यह विधयेक वर्तमान समय के अनुरूप प्रमाणन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाएगा।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, फिल्म पायरेसी के खतरे पर व्यापक रूप से अंकुश लगाने से, फिल्म उद्योग को तेजी से विकास में मदद मिलेगी और क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, इस विधयेक पर कुछ चिंताएं भी हैं जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म बिल के दायरे से बाहर अगर कोई अनसेन्सर्ड फिल्म ओटीटी पर प्रसारित हो तो क्या होगा? ...(व्यवधान) इस पर या तो नियम और विनियम बनाते समय ध्यान रखना जरूरी है या फिर इस समस्या का समाधान भी इस विधयेक के माध्यम से होना चाहिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, आयु-उपयुक्त श्रेणियां स्व-नियामक हैं।...(व्यवधान) इस विधयेक में माता-पिता और अभिभावकों पर यह निर्धारित करने की जिम्मेदारी डाली गई है कि सामग्री किसी विशेष आयु सीमा के दर्शकों के लिए उपयुक्त है या नहीं।...(व्यवधान) बच्चे बिना माता-पिता या अभिभावक की अनुमति से फिल्म देखने चले गए, उस स्थिति में क्या होगा?... (व्यवधान) यह कैसे निर्धारित किया जायेगा कि बच्चों ने माता-पिता या अभिभावक से फिल्म देखने की अनुमति ली है?... (व्यवधान)

सभापति महोदय, यू/ए या ए सर्टिफिकेट फिल्मों को देखने की आयु सीमा विधेयक द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए।...(व्यवधान) मैं इस विधयेक का समर्थन करते हुए में अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): सभापति महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया है।... (व्यवधान) हमारे मंत्री जी ने इसके बारे में बताया है।... (व्यवधान) हम इंडस्ट्री को बिलाँग करने वाले आर्टिस्ट्स हैं।... (व्यवधान) जब ऐसी चीजें इमोशनली मंत्री महोदय के शब्दों में सभागृह में आती हैं कि स्पोर्ट्समैन, जो आर्टिस्ट्स की वहां सेवा करते हैं।... (व्यवधान) मेक-अप आर्टिस्ट्स, टेकनिशियंस, लाइटमैन, जूनियर आर्टिस्ट्स, डांसर्स, कोरियोग्राफर्स, प्रोड्युसर्स हैं, जिनके लिए यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है।... (व्यवधान) इतने लोगों को चलाने वाला व्यक्ति प्रोड्युसर है।... (व्यवधान) हमने पिछले सालों में देखा है।... (व्यवधान) उन्हें 10 सालों के लिए राइट्स दिए जाते थे... (व्यवधान) हर 10 साल बाद उन्हें रीन्यूअल कराना पड़ता था।... (व्यवधान) वहां पर करप्शन होता था।... (व्यवधान) अपने-अपने हिसाब से सब काम होते थे।... (व्यवधान) आज पायरेसी से इंडस्ट्री को 22 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है।... (व्यवधान) हमारे देश को इस पायरेसी से सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है।

मैं मंत्री महोदय को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आर्टिस्टों, मेकअप आर्टिस्ट्स, स्पोर्ट्समैन और टेकनिशियंस के बारे में जिस तरह की उनकी भावना है, ... (व्यवधान) हमारे देश को जो नुकसान पहुंचता है, ... (व्यवधान) कहीं न कहीं इससे हमारे देश की इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फायदा होगा ।... (व्यवधान) एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं मंत्री महोदय का दिल से धन्यवाद करती हूं। धन्यवाद ।

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): माननीय सभापति जी, मैं सिनेमा एक्ट, 1952 के संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी एवं माननीय अनुराग ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्म बनाने वाली भारतीय इंडस्ट्री है।...(व्यवधान) फिल्म पायरेसी रोकने के लिए इस बिल में प्रावधान किया गया है। इस पर जेपीसी में चर्चा हुई है।...(व्यवधान) सभी फिल्म इंडस्ट्री वालों से चर्चा हुई है।...(व्यवधान) महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्व में सेंसर बोर्ड 10 सालों के लिए अनुमति देता था।...(व्यवधान) अब यह फॉरएवर के लिए हो गया है।...(व्यवधान) एक बार सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया, तो यह हमेशा के लिए रहेगा।

इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पायरेसी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है।... (व्यवधान) पायरेसी को रोकने के लिए तीन साल की सजा और तीन लाख रुपये का जुर्माना बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।... (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहूंगा कि इसमें आपने जो आयु वर्ग दिए हैं, उनके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने जो तीन आयु वर्ग 7 वर्ष, 13 वर्ष और 16 वर्ष दिए हैं, यह फिल्म उद्योग के लिए क्रांतिकारी कदम है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर।

... (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो सभी माननीय सदस्यों का मनोज तिवारी जी से लेकर बाकी सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपने बहुत बहुमूल्य सुझाव भी दिए और बिल का समर्थन भी किया।... (व्यवधान) लेकिन मुझे कुछ बातें सदन के सामने जरूर रखनी हैं, क्योंकि नहीं रखूंगा तो इस बिल के साथ भी और फिल्म इंडस्ट्री के चाहने वालों के साथ भी अन्याय होगा।... (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है, जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री तो है ही और नवनीत राणा जी ने भी अपने अनुभव इसके साथ शेयर किए।... (व्यवधान) हालांकि मेरे मन में था कि किरण खेर जी से लेकर बाकी सब, निरहुआ जी हमारे बहुत

बड़े कलाकर भी हैं, नेता भी हैं और यहां पर भी हैं।... (व्यवधान) मनोज जी बहुत बड़े एक्टर हैं। इन सब को ज्यादा अवसर मिलता तो शायद देश के सामने ज्यादा बात आ पाती।... (व्यवधान) लेकिन सदन में हंगामा मचाने वाले चाहते ही नहीं कि अच्छा बिल भी आए और बात जनता तक जाए भी। ... (व्यवधान) लेकिन हम जरूर चाहते हैं कि सरकार के द्वारा इस बिल के माध्यम से जो अच्छे कदम उठाए गए हैं, वे मीडिया के मित्रों के माध्यम से कम से कम पूरी जनता तक जरूर पहुंचें।... (व्यवधान) यह फिल्म इंडस्ट्री 110 साल पुरानी है, जहां राजा हरिश्चन्द्र जैसी फिल्म बनाई। उसके बाद अगर मैं पहली इंडियन टॉकी की बात करूं तो आलम आरा से लेकर सत्यजीत रे की पाथेर पंचाली वाली पिक्चर और न जाने कितनी अनगिनत फिल्मों की गिनती यहां पर हो सकती हैं।... (व्यवधान) भारत 2000 से ज्यादा फिल्में एक साल में बनाता हैं।... (व्यवधान) यह दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है और केवल एक भाषा में नहीं, अनेक भाषाओं में करता है। आज किसी को बॉलीवुड, किसी को टॉलीवुड, किसी को कॉलीवुड, किसी को सेंट्रलहुड और किसी को मॉलीवुड अलग-अलग नामों से जाना जाता है।... (व्यवधान) लेकिन मैं यह कहूंगा कि इस वुड को छोड़ दीजिए, यह भारतीय सिनेमा है, जिसने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, इसके लिए हमें अपने कलाकारों का अभिनन्दन-स्वागत करना चाहिए। ... (व्यवधान) आज दुनिया की बड़ी से बड़ी फिल्में भी, जो बिग बजट फिल्में हैं, उनका भी पोस्ट प्रोडक्शन का काम आज हिन्दुस्तान में होता है। कोई मुम्बई में होता है, कोई बेंगलुरु में होता है, कोई हैदराबाद में, तो कोई तमिलनाडु में होता है।... (व्यवधान) हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि आज दुनिया भारत की ओर देखती है।... (व्यवधान) हम सिनेमा के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी उद्योगों में से एक बन गए हैं। यह ओटीटी, डॉक्युमेंट्री से लेकर फिल्मों तक इन सब के लिए पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भारत की ओर देखते हैं।... (व्यवधान) आज सही समय है, यही समय है कि इंडिया कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड बने और इंडिया कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड बनकर ही रहेगा। ... (व्यवधान) अगर मैं आपके सामने कहूं, द एलीफेंट व्हिस्पर्स की बात करूं, आरआरआर की बात करूं या फिर ऑल दैट ब्रीथ्स, इन सब ने, ऑस्कर में इनका नाम आने से एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट की है।... (व्यवधान) यही नहीं केजीएफ-2, आरआरआर, कांतारा जैसी पिक्चरों ने तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़ जैसी अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्री को और बल दिया है।... (व्यवधान) मैं कह सकता हूं कि वर्षों से हमारी साउथ की

फिल्म इंडस्ट्री जिस पहचान की मांग करती थी, आज साउथ की फिल्मों ने रीजनल नहीं, नेशनल नहीं, बल्कि इंटरनेशनल नाम बनाने का काम किया है और यह बहुत बड़ी बात है। ... (व्यवधान) इसलिए हमारा दायित्व सरकार के नाते और भी बड़ा हो जाता है कि पायरेसी को कैसे रोका जाए। ... (व्यवधान) साउथ के कई शहरों में तो ऐसा होता है कि वहां पर लोग अगर 9 बजे का शो है, तो सुबह 6 बजे आकर बैठ जाते हैं कि हमें पहला शो पहले दिन देखना है।... (व्यवधान) अगर यह बिल न आए तो उन जैसे लोगों के साथ भी अन्याय होगा। जो लोग किरण जी, निरहुआ जी, मनोज भाई जैसे या नवनीत जी जैसे कलाकारों के साथ फिल्में बनाते हैं तो यह उनके साथ भी अन्याय होगा कि उन्होंने पैसा तो लगाया, लेकिन पायरेसी से चुराकर किसी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या स्थानीय स्तर पर बेच दिया।

इससे उनको उनकी लागत वापस नहीं मिलती है एवं जो क्रिएटिविटी है, उसको भी खत्म करने का काम किया जाता है।... (व्यवधान)

यदि भारत में देखा जाए, तो भारत को कहानीकारों का देश कहा जाता है। अगर हम कहानीकारों के देश के रूप में जाना जाता है, उसके पीछे हमारी लिगेसी, हमारा कल्चर, हमारी डायवर्सिटी, हमारा हेरिटेज आदि का एक बहुत बड़ा रोल है। हमें गांव-गांव की बातें, अपने कल्चर से जुड़ी बातों को आज देश-दुनिया तक पहुंचाने का एक अवसर है।... (व्यवधान)

मैं आप सबके सामने एक उदाहरण रखना चाहूँगा। आज से छ:-सात महीने पहले, मैंने सेन्ट्रल एशिया के देशों के यूथ डेलिगेशन को होस्ट किया।... (व्यवधान) जब उनको शाम के समय भोजन दिया गया, तो तुर्कमेनिस्तान, कज़ाख़िस्तान, उज्बेकिस्तान आदि देशों के जो युवा थे, उनको हमने भारत के डांसेज दिखाए, भारत का कल्चर दिखाया।... (व्यवधान) उन्होंने अनुरोध किया कि वे भी अपने कुछ कल्चरल आइटम पेश करना चाहते हैं।... (व्यवधान) हमने इसकी अनुमति दे दी। मुझे लगा कि शायद वे लोग अपने देश का कुछ गाकर बताएंगे। जब वे मंच पर आए, तो किसी ने मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म का गाना गाया, तब उनमें से अधिकतर लोग पैदा भी नहीं हुए थे।... (व्यवधान) इस तरह से, उन्होंने पहला गाना गाया- "आई ऐम ए डिस्को डांसर"। यह किसने गाया? इसे सेन्ट्रल एशिया के देश के लोगों ने गाया।... (व्यवधान) जब दूसरा ग्रुप आया, तो उसने गाया- *"जिमी-जिमी-जिमी आजा-आजा-आजा।"* इसे वे अपनी

भाषा में गा रहे हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ उसे गा रहे थे। यह बात दिखाता है कि भारत के सॉफ्ट पॉवर की ताकत क्या है।... (व्यवधान) अगर इस देश से लेकर सेन्ट्रल एशिया और रशिया तक, वर्ष 2018 में मैं रशिया में फुटबॉल का वर्ल्ड कप देखने गया, तो वहाँ लोग राजकपूर जी की फिल्म-*"मेरा नाम जोकर"* की बात करते थे।... (व्यवधान) इसलिए यह सॉफ्ट पॉवर की ताकत है कि हम देश-दुनिया में अपने कल्चर, अपने सिनेमा और अपनी कला की छाप छोड़ सकते हैं। वह छाप छोड़ने का काम हमारे कलाकार करेंगे और पायरेसी रोकने का काम हम लोग इस बिल के माध्यम से करेंगे।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, इस बिल के कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज रह गये हैं।... (व्यवधान)

अगले तीन साल में यह इंडस्ट्री एक सौ बिलियन डॉलर की हो जाएगी। साढ़े सात से आठ लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री हो जाएगी, जो लाखों लोगों को रोज़गार दे सकती है। इसलिए हम उनके हितों को भी देख रहे हैं।... (व्यवधान)

इसके साथ-साथ, फीचर फिल्म, डॉक्युमेंट्री, ऑरिजनल फिल्म्स, टीवी शोज़ आदि से संबंधित बहुत-से लोगों के हितों का ध्यान भी हम लोग रख रहे हैं।... (व्यवधान) यदि आज देखा जाए, तो इन सबके साथ-साथ, इसका समर्थन करने के समय, यहाँ पर जो कुछ सवाल पूछे गए, यह कहा गया कि जो एक्ट्स हैं, चाहे कॉपीराइट एक्ट हो या आईटी एक्ट के तहत सेक्शन 66 हो, इसका क्या करेंगे, तो मैं इससे संबंधित क्लैरिफिकेशन यहाँ पर करना चाहता हूँ, क्योंकि यह इंडस्ट्री और मीडिया के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है।... (व्यवधान)

(अनुवाद)

कोई भी व्यक्ति जो प्रस्तावित खंड 6कक और 6कख के अधीन पायरेसी से संबंधित निषिद्ध कार्य करता है, उसे एक ऐसी अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जो तीन महीने से कम नहीं होगी, और 2023 के विधेयक के खंड 7 (1क) के अंतर्गत तीन साल तक बढ़ सकती है। ... (*व्यवधान*) (हिन्दी) यानी तीन साल से कम नहीं है। इसमें तीन साल तक सजा हो सकती है, तीन लाख रुपए तक का फाइन हो

सकता है और कॉस्ट ऑडिटेड प्रोडक्शन का 5 परसेंट तक उसको फाइन भी हो सकता है। इस तरह से, इसमें उसका ध्यान रखा गया है।... (व्यवधान)

(अनुवाद)

इसमें आगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 की धारा 52 के तहत उपबंधित कतिपय कृत्य, इस प्रावधान, धारा 52 के तहत दंडनीय नहीं होंगे। . (*व्यवधान*) लेकिन चलचित्र अधिनियम के अधीन निर्धारित दंड के अलावा, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत फिल्मों की चोरी के लिए एक व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है। ... (*व्यवधान*) प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 51 के तहत अपराध का दंड धारा 67 के तहत निर्धारित किया जाता है, जहां किसी फिल्म के प्रतिलिप्याधिकार धारक के प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को एक ऐसी अवधि के लिए कारावास दंड दिया जा सकता है जो छह महीने से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा, और इसे दो लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। ... (*व्यवधान*)

(हिन्दी)

इसी तरह से इनफॉरमेशन टैक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 66 के तहत भी उसको पांच लाख रुपए तक की सजा हो सकती है। ... (व्यवधान) उसको दूसरी तरह से दिया जा सकता है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

... (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, इसी के साथ-साथ हमने इनके लिए फेयर कम्पनसेशन की बात भी कही है। ... (व्यवधान) उनका लाइसेंस, जो केवल दस सालों में खत्म हो जाता था, अब फिल्म वालों का लाइसेंस दस सालों में खत्म नहीं होगा, सारी उम्र के लिए उनको भारत सरकार ने लाइसेंस दे दिया है। ... (व्यवधान) अब आपको किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आपको आपके अधिकार दे दिए हैं। ... (व्यवधान) यही नहीं, जो एज क्राएटेरिया का इश्यू है, वह मैंने पहले स्पष्ट कर दिया है। ... (व्यवधान) एज क्राएटेरिया के साथ-साथ मैं एक और बात यहां करना चाहता हूं। ... (व्यवधान) यह जो चेंज ऑफ कैटेगरी है, अगर

आपकी फिल्म 'ए' कैटेगरी में है, 'एस' कैटेगरी में है और आप उसको टीवी पर दिखाना चाहते हैं, तो जो क्लॉज़ सीबीएफसी आपको चेंज करने के लिए कहेगा, वह केवल टेलिविजन नेटवर्क के प्रोग्राम कोड के अनुसार अगर आप कर देंगे, तो आपको टेलिविजन पर भी फिल्म दिखाने का पूरा अधिकार मिल जाएगा, आपको कोई नहीं रोकेगा। ... (व्यवधान) सर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, जो कि के.एम. शंकरप्पा वरसेज़ यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है। ... (व्यवधान) कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहैल्ड किया था। ... (व्यवधान) हमने इसी को ध्यान में रखते हुए यह तय किया है कि किसी भी फिल्म की रिवीजन की पॉवर भारत सरकार के पास नहीं होगी, हमने उससे भी मुक्ति पा ली है, ताकि सीबीएफसी ने जो सर्टिफिकेट दिया है, वही फाइनल है। ... (व्यवधान) अगर रिवीजन करनी है, तो वह एक अलग कमेटी बनाकर रिवीजन कर सकती है, भारत सरकार उसमें कोई दखल नहीं देगी। ... (व्यवधान) सीबीएफसी, जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वह वैसी ही बनी रहेगी। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

... (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर देता हूं। ... (व्यवधान) जितने भी माननीय सदस्यों ने यहां अपनी बात रखी है, आप सभी की बातों को हमने पूरी इंडस्ट्री के साथ चर्चा करके और स्टैंडिंग कमेटी में पूरी तरह चर्चा करके एक ऐसा बिल बनाया है, जो आजादी के 75वें साल में तो आया, फिल्म इंडस्ट्री के 110 साल पूरे होने के बाद आया, लेकिन अगले 100-200 सालों तक पाइरेसी से आपको बिलकुल मुक्ति दिलाएगा । ... (व्यवधान) इस सबके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ... (व्यवधान) सभी का बहुत-बहुत आभार ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि चलचित्र अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए ।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u> ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

… (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय सभापति जी, मुझे बड़े भारी दिल के साथ कहना पड़ रहा है कि जब आपने कहा कि बिल को पास करें, तो विपक्ष के सदस्यों ने 'न' कहा। ... (व्यवधान) क्या विपक्ष सिनेमा जगत के खिलाफ है? … (व्यवधान) ये क्यों 'न' करते हैं? … (व्यवधान) बड़े भारी दिल के साथ कहना पड़ता है। … (व्यवधान) आज यह समय आया था, जब ये इसके साथ जुड़ सकते थे, लेकिन इस पर भी इन्होंने राजनीति की। … (व्यवधान) आज फिल्म इंडस्ट्री के लिए, कन्टेंट क्रिएटर्स के लिए इतिहास बनने जा रहा है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

… (व्यवधान)

(अनुवाद)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

यह विधेयक पारित किया जाए।

(हिन्दी)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 1 अगस्त 2023 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

अपराह्न 2.49 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 1 अगस्त, 2023 / 10 श्रावण, 1945 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित